खण्ड-156, अंक-3
बुधवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(14 सितम्बर, 1955 ई0)

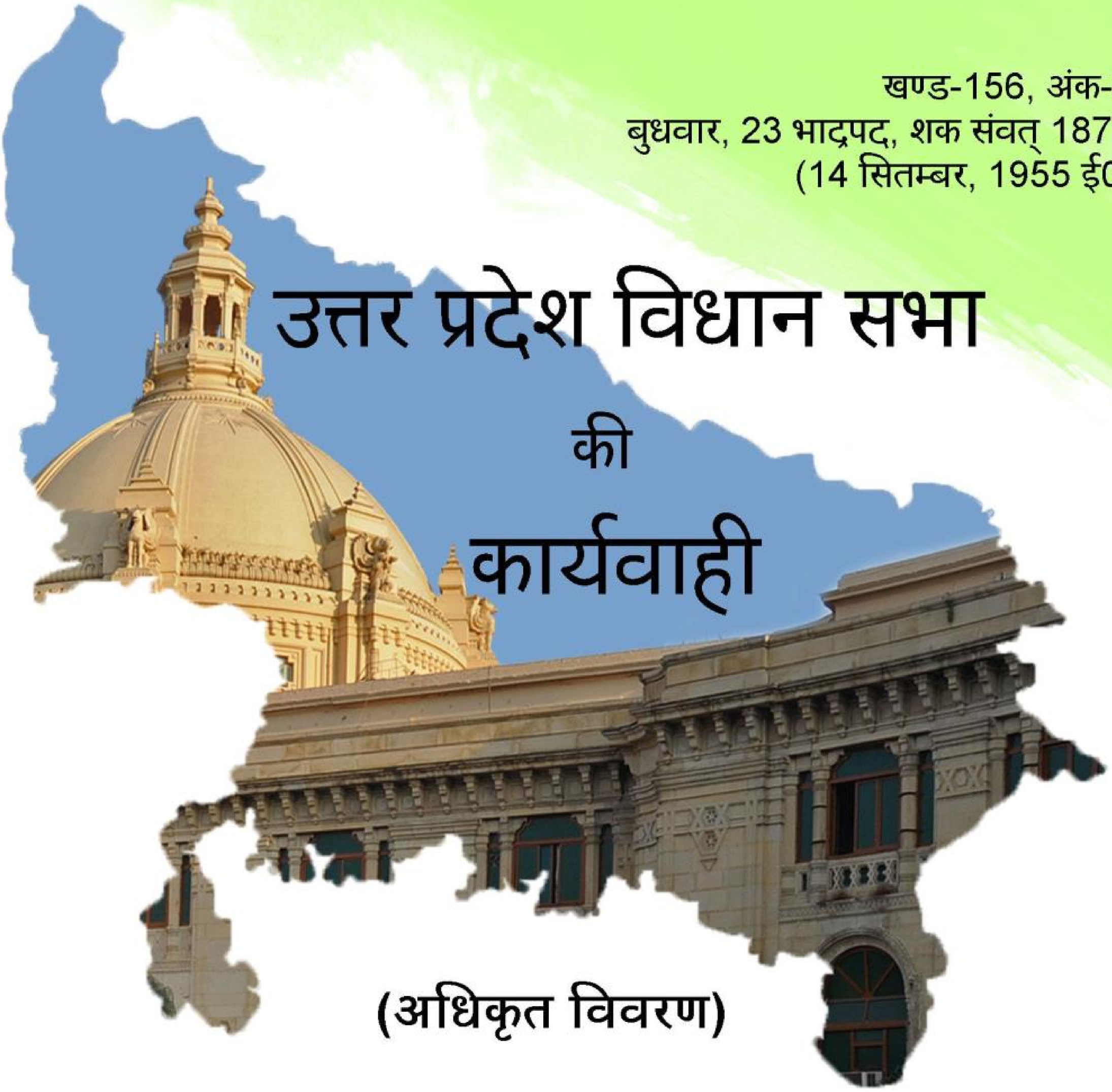

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 156 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के विभिन्न स्थानों में आग से क्षति

**१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में आग लगने से प्रदेश भर में कितनी क्षति हुई है और कितनी दुर्घटनाएं घटी हैं? इसकी कोई सूची राज्य के कार्यालय में है? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—प्रदेश भर में सन् १९५४ ई० में आग लगने के कारण जो क्षति हुई तथा दुर्घटनाएं घटीं वह इस प्रकार हैं:—

दुर्घटना	२,६८९
सरकारी संपत्ति को हानि	२५,५७० रु०
गैर सरकारी संपत्ति को हानि	१,०५,८३,९०६ रु०

ब्योरेवार सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

१९५२ व ५३ की सूची कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

**२—श्री गेंदा सिंह—क्या कोई योजना आग लगने से बचाने के लिए अथवा आग लगने पर रक्षा करने की शिक्षा देने के लिए सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**३—श्री गेंदा सिंह—क्या कोई संस्था इस प्रकार की खुलने जा रही है जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनों के सम्मिलित व्यय से चलेगी। यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रामपुर में आग का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय संस्था खोलने का विचार केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है। यह संस्था अभी खुली नहीं है। इसलिये सरकार अधिक विवरण देने में असमर्थ है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े दिये गये हैं, जो क्षति का अनुमान लगाया गया है उसके संबंध में कम बतलाने और कुछ घटनाओं को न लिखने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है और जहां तक हो सकता है वहां तक सही सही रिपोर्ट आती है। लेकिन हां, ऐसा होता है कि शहरों की और कुछ दूसरी जगहों की रिपोर्टें हमारे पास नहीं आती हैं। यह देहातों की रिपोर्टें होती हैं जो पटवारी के जरिये से आती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामले में रिपोर्ट न होती हो। लेकिन जो रिपोर्ट आती है उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जानबूझ कर कुछ दूसरे आंकड़े दिये जायं।

श्री गेंदा सिंह—जो २,६८९ दुर्घटनाएं बतलाई गयी हैं उनमें कितनी जानें गयीं और कैसी दूसरी घटनाएं हैं, उस पर रोशनी डालने की क्या माल मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी ब्योरेवार देने के लिए। जो बातें आपने पूछी हैं वह मेरे पास इसमें नहीं हैं।

श्री गेंदा सिंह—यह रामपुर में जो संस्था खोली जा रही है, क्या उस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट की केंद्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी हुई है? यदि हुई है, तो क्या?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हुई है और उसमें राज्य सरकार से कहा गया है कि उसको भी इसके खर्च की बाबत १२,००० रुपया सालना देना होगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो नान-आफिशियल नुकसान हुआ है आग लग जाने से १ करोड़ के करीब, उसमें क्या खलिहान के जलने का भी नुकसान शामिल है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, होगा शामिल।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को आग लगने के कारण नुकसान होता है उनको किसी प्रकार की सहायता सरकार से मिलती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें जो मकान वगैरह जल जाते हैं तो उनको कुछ मदद दी जाती है लकड़ी वगैरह देकर, लेकिन और जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो ग्रेट्यूइस रिलीफ दी जाती है वह सहायता के रूप में होती है, नुकसान देने के रूप में नहीं होती।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ रिपोर्ट आजतक क्यों नहीं प्राप्त हो सकी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें तो कोई खास बात नहीं मालूम होती। उसके पेपर्स उस वक्त नहीं होंगे। मेरे पास १९५२-५३ की रिपोर्ट ही है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो २,६८९ दुर्घटनाएं आग लगने की हुई हैं उनमें कितनी शहरों में हुई हैं और कितनी गांव में?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मैंने पहले ही बतलाया कि नहीं बतला सकता, क्योंकि शहरों की रिपोर्टें जनरली नहीं आती हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि इन आग लगने की दुर्घटनाओं में कितनी दुर्घटनाएं ऐसी हैं कि जिनमें किन्हीं के जरिये लगाने से आग लगी है और यह बतलायेंगे कि उनमें कितनों के खिलाफ केस चला है?

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न है। जो सूचना यहां सचिवालय में मौजूद है उसी के बारे में आप पूछिये।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार इतनी बड़ी रकम की प्रति वर्ष क्षति को देखते हुये कोई ऐसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी जिससे इस तरह की ज्यादा दुर्घटनाएं आग से लगने की न हों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जो सेंटर की तरफ से स्कूल खुल रहा है उसमें इस पर विचार किया जायगा कि किस तरह से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाय।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन खलिहानों में आग लग जाती है उसमें ग्रेटुइट्स रिलीफ या मालगुजारी की माफी या तकावी, किस रूप में उनको सहायता दी जाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि ऐक्सीडेंट की कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती लेकिन लोगों की और जो सहायता हो सकती है, बैल वगैरह की तकावी, बीज की तकावी, वह दी जाती है और उनको ज्यादा ख्याल किया जाता है जिनके ऊपर इस तरह की कोई कैलेमिटी हो जाती है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अग्नि दुर्घटनाओं के फलस्वरूप खड़ी फसल को हुई क्षति के संबंध में लगान की माफी सरकार की तरफ से की जाती है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लगान माफी के नियम बने हुए हैं। उनमें अगर कोई आ जाता है तो माफी मिलेगी और अगर नहीं आता है तो नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शहरी दुर्घटनाओं की सूचना जो नहीं होती है उसका क्या कारण है और अगर होती है तो किस विभाग में होती है माल विभाग को छोड़कर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण यह है, जैसा मैंने अर्ज किया कि जहां ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं वहां लोग भूख से न मरें इसका ख्याल किया जाता है। यह गैटुइटस रिलीफ दी जाती है, खाने पीने का प्रबन्ध किया जाता है। तो शहर में तो लोग मालदार होते हैं अगर कहीं ऐसा हो भी जाता है तो वहां के लोग मदद कर देते होंगे, वहां भूख से मरने की आशंका कम है। लेकिन देहात में मदद मिलना कम होता है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट यानी होम डिपार्टमेंट में आती होगी।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[८ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न २१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बुन्देलखंड की मन्डियों में लाल गेहूं की खरीद की मांग

*२—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि गेहूं की गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए बुन्देलखंड की किन-किन मंडियों में गेहूं खरीदने की व्यवस्था सरकार ने की है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—मंडियों के नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१८ पर)

*३—श्री तेज प्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस खरीद से बुन्देलखंड के गेहूं को किन्हीं कारणों वश कम अच्छा समझ कर न खरीदने का निश्चय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके समस्त कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी और बुन्देलखंड में अनाज की गिरती हुई कीमतों से उत्पन्न भयंकर स्थिति को सम्भालने की अपनी नीति को स्पष्ट करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं। ऐसी बात नहीं है। परन्तु राज्य सरकार ने केवल सफेद गेहूं खरीदने की ही व्यवस्था की है, क्योंकि उसे केन्द्रीय सरकार का ऐसा ही आदेश था और यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही हुई है।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि बुन्देलखंड में करीब ९० फसदी लाल गेहूं पैदा होता है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—हां, यह सत्य है ।

श्री तेज प्रताप सिंह—तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा था कि बुन्देलखंड में लाल गेहूं पैदा होता है इसलिए इसकी कीमत को स्थिर करने के लिए यह इजाजत दी जाय कि वहां लाल गेहूं खरीदा जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, प्रदेशीय सरकार ने कई मर्तबा केन्द्रीय सरकार से इस बात का आग्रह किया कि लाल गेहूं के खरीदने में उसी प्रकार की योजना केन्द्रीय सरकार मंजूर करे जिस तरह की सफेद गेहूं के खरीदने में है ।

श्री तेज प्रताप सिंह—इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया ? इजाजत दी या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार ने उसे नामन्जूर किया ।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने सफेद गेहूं में कुछ परसेंटेज लाल गेहूं का यदि हो तब भी खरीदने की इजाजत दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं, ऐसी बात नहीं थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड में कितनी मंडियों में गेहूं खरीदने की व्यवस्था की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मंडियों की सूचना तो अभी आपको दे दी गई जो अभी उत्तर दिया गया उसमें ।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि राठ जिला हमीरपुर में एक बड़ी मंडी है जिस क्षेत्र में कि बहुत ज्यादा गेहूं पैदा होता है और वहां पर कोई खरीद नहीं की गई ? ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब मुझे इस बात की इस वक्त सूचना नहीं है । मैं पूछ कर बतला सकता हूं क्योंकि बहुत सी प्रदेश की मंडियां हैं जहां नहीं हुई है । जो मंडियां निर्धारित की गई हैं वह केन्द्रीय सरकार की सलाह से ही निर्धारित की गयी हैं ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लाल गेहूं की खरीद की व्यवस्था न होने के कारण लाल गेहूं बहुत सस्ते दाम पर बिका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, इस प्रकार की सूचना सरकार को है ।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि जो मंडियां खोली गयीं यह राज्य सरकार की सिफारिश पर खोली गयीं अथवा केन्द्रीय सरकार से सीधे यह आज्ञा आयी थी कि फलां-फलां जगह खरीद की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं । प्रदेशीय सरकार ने भी इसमें सलाह दी थी और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने फिर उनके ऊपर विचार करके स्वीकृति प्रदान की ।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार भविष्य में इस बात का ख्याल रखेगी कि राठ में भी खरीद होने के वक्त इस केन्द्र को स्थापित किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं जरूर इस बात को देखने का प्रयत्न करूंगा कि क्यों राठ में खरीददारी नहीं हुई और वहां राठ में खरीददारी बराबर होनी चाहिए ।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह मंडियां कब खोली गयीं और कब खरीद शुरू की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तारीखें तो इस वक्त मुझे सब की याद नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मई के बाद सब मंडियां खुली हैं। कुछ मई में भी खुली हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह मंडियां या ये केन्द्र जो खुले, इनके बहुत देर में खोले जाने के कारण किसान अधिकतर अपना गल्ला बेच चुका था व्यापारियों के हाथ और इस कारण उसको बहुत हानि हुई? क्या भविष्य में इसको ध्यान में रखते हुए यदि ऐसी परिस्थिति हुई....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार भविष्य में इन केन्द्रों को शीघ्र खोलने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, सरकार की तो हमेशा यह चेष्टा रहती है कि किसान को कम से कम किसी चीज में नुकसान हो और उसके नुकसान को बचाने की वह चेष्टा करती है। यदि किसी स्थान पर कुछ देर में केन्द्र खुला तो उसके कुछ कारण रहे होंगे वरना सरकार की चेष्टा यह थी कि शीघ्र ही मंडियों में खरीददारी का कार्य प्रारम्भ किया जावे।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड की जिन मंडियों में यह खरीददारी सरकार द्वारा शुरू हुई उनमें भावों पर कोई असर पड़ा? यदि हां, तो कितना?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां-जहां खरीददारी सरकार ने प्रारम्भ की, उसके थोड़े ही समय के बाद भावों में अन्तर पड़ा और गल्ले की कीमतें बढ़ने लगीं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यदि भविष्य में कहीं खरीददारी की व्यवस्था हुई तो लाल गेहूं को खरीदने की भी वह व्यवस्था करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारी तो बराबर यह चेष्टा है और हम केन्द्रीय सरकार से बराबर इसका आग्रह करते रहते हैं और जब फिर दुबारा खरीददारी की जायगी तो फिर सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेगी कि लाल गेहूं को भी वह अपनी उस योजना में सम्मिलित करे।

राज्य में खनिज पदार्थों की खोज

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कोयला, लाइमस्टोन, हीरा, तांबा, लोहा, सोना और तेल की कुछ खानें हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—सिंगरौली-कोटा क्षेत्र, जिला मिर्जापुर में कोयला और गढ़वाल जिले में तांबा की खानें पाई जाने की संभावना है। लाइमस्टोन जिला मिर्जापुर और देहरादून में पाया जाता है। हीरा, लोहा, सोना और तेल की खानों के पाये जाने के विषय में सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इन खानों का सर्वे प्रादेशिक सरकार सन् १९५५ के अन्त तक समाप्त कर लेगी?

श्री बनारसी दास—ज्योलेजिकल सर्वे आफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट जिला मिर्जापुर व देहरादून के लाइमस्टोन पर मौजूद है। इस विषय में और सर्वे की आवश्यकता नहीं है। कोयले तथा तांबा के सर्वे का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह सर्वे १९५५ के अन्त तक समाप्त हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहा, सोना और तांबे के विषय में जो सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के विषय में कोई साधन उपयोग में लावेंगे? यदि हां, तो क्या?

श्री बनारसी दास—अभी प्रदेशीय सरकार ने एक डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे यहां पर कायम किया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है वह उसकी सप्लीमेंट करेगा और उसमें आशा की जाती है कि उससे सहायता मिलेगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सरकार ने इस सर्वे के सिलसिले में कोई अलग विभाग स्थापित किया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही प्रारंभ हो गयी?

श्री बनारसी दास—वह तो उत्तर में दिया जा चुका है। मैंने अभी निवेदन किया कि जो डायरेक्टोरेट इसका अलग मुकर्रर किया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है उसको पूरा करेगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर के अगोरी परगने में लोहा पाया जाता है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि लोहा पाया जाता है तो जो डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे हमने बनाया है उसके तहत में इन बातों की खोज होगी और फिर सरकार के पास वह सूचना देगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा है कि गढ़वाल में तांबे वगैरह की खाने कहां मिली हैं तो वह कहां पर स्थित हैं और आगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन सब कार्यों के लिये और अनुसंधानों के लिए डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे ने अपना कार्य प्रारम्भ किया है। अभी दो महीने पूर्व कार्य प्रारम्भ हुआ है, अभी उसकी रिपोर्ट आयी नहीं। वह ६-६ महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा, तब हम इस सदन को बता सकेंगे कि किस चीज की उन्होंने खोज की और कौन सी चीज किसके बाद प्राप्त हुई। अनुसंधान का कार्य इतना आसान नहीं है कि महीने दो महीने में उसकी रिपोर्ट हमको मिल जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह हाल ही में स्थापित डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे कब स्थापित हुआ और उसके डायरेक्टर महोदय कौन हैं और उसने अब तक क्या कार्य किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मैंने बताया कि दो महीने पहले स्थापित हुआ है। इसके आनरेरी डायरेक्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योलाजी के प्रोफेसर राव हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि लाढांग में, गढ़वाल जिले और बिजनौर जिले के पास, जो कोयले की खान मिलने की खबर थी जिसकी केन्द्रीय सरकार जांच कर रही थी, उसका क्या हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो मेरे पास इस विषय की कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पहाड़ी क्षेत्र में उस स्थान पर लाइमस्टोन और अबरक की खानें मिलने की संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी बातचीत से जानकारी प्राप्त हुई है। वहां ऐसे बहुत से मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसीलिए इस ज्योलाजिकल सर्वे की स्थापना हुई है।

जिला प्लानिंग कमेटियों के व्यय का निरीक्षण

*६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्लानिंग कमेटियों द्वारा जो रुपया विभिन्न कार्यों के लिये दिया जाता है उन कार्यों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*७—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर है, तो कौन अधिकारी की जिम्मेवारी उक्त कार्यों के देखने की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वास्तविक उत्तरदायित्व जिला नियोजन अधिकारी तथा जिलाधीश का है।

राज्य फाइनेन्शियल कार्पोरेशन द्वारा ऋण का वितरण

*८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य फाइनेन्शियल कार्पोरेशन में अब तक कुल कितने ऋण दिये गये हैं, और उनमें से कितने नये उद्योगों के लिए और कितने पुरानों को दिये गये हैं तथा वह कौन-कौन से उद्योग-धन्धे हैं ?

श्री बनारसी दास—अब तक कुल सात आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये हैं जिनमें से दो को ऋण वितरित कर दिया गया है, शेष के सम्बन्ध में रजिस्ट्री आदि की कार्यवाही हो रही है। ये ऋण चालू औद्योगिक कारखानों को दिये गये हैं। उद्योगों का विवरण जिन के लिये ऋण स्वीकृत हुआ है, इस प्रकार है—

(१) बाइसिकिल के भाग,
(२) कृषि सम्बन्धी औजार,
(३) बल्ब होल्डर्स,
(४) मोटर के पिस्टन तथा सिलिन्डर लाइनर,
(५) ताले, हथकड़ी, बेड़ियां, डाक के तराजू आदि,
(६) ऐग्रीकल्चरल इन्स्ट्रूमेन्ट्स, और
(७) कोल्ड स्टोरेज।

इनमें से बाइसिकिल के भाग, बल्ब होल्डर्स और मोटर के पिस्टन व सिलिन्डर बनाने के उद्योग नये हैं। शेष इस प्रदेश के पुराने उद्योग हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फाइनेन्शियल कार्पोरेशन जो ऋण देता है वह किस आधार पर देता है ?

श्री बनारसी दास—ऐसा है कि ग्रांट एण्ड लोन कमेटी व्यक्तियों को १० हजार तक लोन देती है, कोआपरेटिव्ज को १५ हजार तक और इसके ऊपर जो लोग लोन मांगते हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक कानून है जिसके अन्तर्गत इंडस्ट्रीज का नियंत्रण और विकास होता है। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे यहां माल बनता है, या उसका संरक्षण होता है या उसके विकास के लिये. जो इसके अधीन दरख्वास्तें आती हैं उनको यह कार्पोरेशन १५ हजार से ज्यादा लोन देता है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फिनैन्शल कार्पोरेशन के पास ऋण के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से कितने अस्वीकार किये गये और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऋण की दरख्वास्तें तो ५०–६० से अधिक थीं लेकिन जो कायदे इस कार्पोरेशन ने धन देने के लिये बना रखे हैं उनमें से बहुत कम दरख्वास्तें उनके तहत में आती थीं, इसलिये काफी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फिनैन्शल कार्पोरेशन देहाती क्षेत्रों को भी ऋण देने की व्यवस्था करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रत्येक क्षेत्र में जहां कि कोई उद्योग-धंधा लगाया जाने वाला है उसके लिये चाहे वह देहात में हो चाहे शहर में हो, हर एक के लिये वह ऋण देने की व्यवस्था करता है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फिनेन्शल कार्पोरेशन का कितना कैपिटल इस वक्त है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो उसका ५० लाख कैपिटल है लेकिन सरकार उसको बढ़ाने की योजना बना रही है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक कुल कितना धन कर्जे में दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी मात्रा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यह सदन को बता देना चाहता हूं कि वह धन अभी बहुत अधिक नहीं है और जितना भी ऋण इन कार्यों के लिये दिया गया है वह कुछ संतोषजनक नहीं है। सरकार ने इस विषय में फिनैन्शल कार्पोरेशन को कुछ आदेश दिये हैं कि वह अधिक मात्रा में लोगों को और खास कर जो लोग नये उद्योग-धंधे लगाना चाहते हैं उनको ऋण देने की व्यवस्था करें और यदि उसको अपने नियमों में कुछ परिवर्तन भी करना पड़े तो उस पर विचार करे।

आजमगढ़ जिले के बाजार गोसाईं स्थान पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिए आवेदन-पत्र

*९—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के बाजार गोसाईं नामक स्थान पर एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लगभग ७ आवेदन-पत्र आये हैं। इस प्रार्थना पर जिला परामर्शदात्री समिति की राय तथा अन्य आवश्यक विस्तृत सूचना मांगी गई थी। जिला परामर्शदात्री समिति यहां पर अस्पताल खोलने के पक्ष में नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न ९ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

*१०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सोडा ऐश बनाने के काम में सरकार को घाटा

*११—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने सोडा ऐश बनाने का जो काम हाथ में लिया था उसमें उसे कुल कितने का घाटा हुआ ?

श्री बनारसी दास—२९,३३४ रुपया १३ आना ३ पाई का घाटा हुआ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि एकाउन्टेन्ट जनरल न घाटे की रकम ४३,३३९ रु० ७ आ० ९ पा० दिखायी है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक्सपर्ट्स थे सोडा एश बनाने में, जिन्होंने एस्टीमेट दिया था खर्चे का, वह ऐक्चुअल एस्टीमेट क्या था और ऐक्चुअल खर्चा क्या पड़ा बनाने का ?

श्री बनारसी दास—इसके अन्दर कुल खर्चा ४१,७८३ रु० ११ आ० ९ पा० का हुआ। शुरू में उसके अन्दर ज्यादा खर्चा करने का था लेकिन उस पर इतना ही खर्चा हुआ है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सोडा ऐश बनाने में पर क्वार्टर क्या खर्चा होने का ऐस्टीमेट किया गया था और ऐक्चुअल खर्चा क्या पड़ा था ?

श्री बनारसी दास—ऐक्चुअल खर्चा ४८ रुपये पर हन्ड्रेडवेट पड़ गया, लेकिन २०/२२ रुपये पड़ने का अनुमान था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोडा ऐश फैक्टरी खोलने से सरकार को नुकसान किन कारणों से हुआ ?

श्री बनारसीदास—कोई फैक्टरी नहीं खोली। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसका इम्पोर्ट कम कर दिया था और कोटा निर्धारित कर दिया था इसलिये निर्धारित कीमत से ज्यादा पर सोडाऐश मिलता था। इसलिये यू० पी० गवर्नमेंट ने इसके सम्बन्ध में जांच करने के लिये सोचा और इसके विकास करने तथा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये सोचा गया और तीन स्थानों पर यह बनाना शुरू हुआ और इसकी खोज भी की गई। फिर इसी दौरान में देखा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपनी पालिसी बदल दी और यह फ्रीली मिलने लगा और इसकी कीमतें बहुत नीची चली गईं। इसलिये इसका मैन्यूफेक्चर बन्द करना पड़ा, इसलिये सरकार को हानि हुई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि सरकार को सोडा ऐश फैक्टरी के सिलसिले में छै महीने में ४३,००० रुपये के करीब नुकसान हो गया ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह ६ जून, १९४८ को शुरू किया गया था और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कुछ दिनों बाद अपनी पालिसी को लिबरल कर दिया और जो पहले कीमतें ८०/१०० रुपये पर हन्ड्रेडवेट चढ़ गई थीं वह फिर से २० रुपये पर आ गयीं, इसलिये यह लाभदायक नहीं रहा और इसका मैन्युफैक्चर बन्द करना पड़ा और इससे हानि हुई।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जो घाटा आडीटर जनरल ने बतलाया है वह सही है या जो माननीय मंत्री जी ने बतलाया है वह सही है ?

श्री बनारसी दास—दोनों सही हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कुल खर्चा ४१ हजार के करीब बतलाया गया है और आडीटर जनरल ने ४३,००० का घाटा बतलाया है तो जितना खर्चा नहीं है उससे ज्यादा घाटा कैसे हुआ ?

श्री बनारसी दास—वास्तव में बात यह है कि रिसर्च के लिये, ड्रेनिंग के लिये और प्रोडक्शन के लिये काफी खर्चा होता है और जो मैंने घाटा बतलाया है वह केवल उत्पादन पर और आडीटर जनरल ने उसमें सब आइटम्स शरीक कर लिये हैं—जैसे फिनिश गुड्स पर नुक्सान है, मिसलेनियस ऐक्सपेंडीचर है, इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा, एलाउंसेज और लास इन रा मेटीरियल, डेप्रीशियेशन आन इम्प्लीमेंट्स, इन सब को मिलाकर ४३,३३९ ६० का घाटा आडीटर जनरल ने बताया है। इसके दो कारण थे विकास और उत्पादन और ट्रेनिंग। हमने जो नुकसान बतलाया है वह उत्पादन पर बतलाया है और उन्होंने सब को शरीक कर लिया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोडा ऐश बनाने में पर क्वार्टर जो ऐस्टीमेट किया था वह इतना कम किया था कि जिसकी वजह से सरकार ने प्राइसेज अपने हाथ में लीं ?

श्री बनारसी दास—नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई भी उद्योग कायम होता है तो उसमें इस्टैब्लिशमेंट रखना पड़ता है और मिलिंग मशीनरी लेनी पड़ती है और जब उत्पादन चलने लगता है तो खर्चा कम हो जाता है। इसमें सोचा गया था कि बहुत से जिलों में रेह पाई जाती है, इसलिये उन जिलों का सर्वे किया गया और उसमें काफी खर्चा हुआ और बाद में तय किया गया कि कानपुर, लखनऊ और आजमगढ़ में शुरू किया जाय। पहले नहीं चाहते थे कि कानपुर में शुरू किया जाय और आजमगढ़ में शुरू किया गया। वहां पर रेह मिलने में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत दूर से रेह लानी पड़ती थी। इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हुआ, यह सब ऐक्सपेंडीचर हुये जिनको शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से इतना घाटा हुआ।

*१२—१३—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४—श्री राम चन्द्र विकल—[हटा दिया गया।]

*१५—१६—श्री रामचन्द्र विकल—[३० सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ८—९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कपड़ा बेचने पर लाइसेंस-फीस

*१७—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह कपड़ा बेंचने की लाइसेंस-फीस को हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब जब कि कपड़ा इफरात में मिलता है उसके बेंचने की लाइसेंस-फीस को लगाने के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है ?

श्री बनारसी दास—एक तो ऐसा है कि सरकार चाहती है कि आगे जो हमारी प्लानिंग हो उसके लिये सही आंकड़े मिल सकें। इसके अतिरिक्त आगे जो स्थिति होगी उसके लिये चाहते हैं कि मिल का ज्यादा उत्पादन न हो। हैंडलूम और खादी उद्योग के जरिये से जो हमारे प्रदेश और देश में कपड़े की कमी है उसको पूरा किया जाय। नहीं कह सकते कि आगे चल कर कपड़े की स्थिति क्या होगी, इसलिये नियंत्रण को इन्फोर्स रखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सही आंकड़े, कि कितना कपड़ा मिल का हमारे यहां से निर्यात होता है, कितना आयात होता है और कितना कन्ज्यूम होता है, मिल सकें, इसलिये आवश्यकता मालूम होती है कि लाइसेंस का नियंत्रण जारी रखा जाय और अन्य किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि अब दूकानदारों से रिटर्न नहीं मांगा जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने कदाचित पिछले वर्ष यह घोषित किया था कि जहां तक इस लाइसेंस की पद्धति का सम्बन्ध है यह लाइसेंस की पद्धति ३० सितम्बर को खत्म कर देगी परन्तु जब केन्द्रीय सरकार ने इस बात की सूचना सरकार को दी कि वह मिल के सेक्टर में कितना कपड़ा तैयार होता है, और हैंडलूम के सेक्टर में कितना कपड़ा तैयार होता है इसकी जानकारी रखें तो इसके लिये नियंत्रण की आवश्यकता हुई। तो अब प्रदेशीय सरकार ने यह निर्णय किया कि इस बात की जानकारी रखने के लिये कि कितना मिल का कपड़ा प्रदेश में आया, कितना व्यय हुआ इस बात के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेशीय सरकार इन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करती रहे। जब इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की जिम्मेदारी रही जो प्रदेशीय सरकार ने यह सोचा कि इसमें हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा उस खर्च की बचत करने के लिये उसमें यह निर्णय किया गया कि हम लाइसेंस का सिस्टम जारी रखें, बजाय इसके कि अभी हम इस सिस्टम को बन्द कर दें और पंचवर्षीय योजना दूसरी जब हम चालू करें तब फिर इसको जारी करें। दूरदर्शिता इस बात की समझी गयी कि इसको जारी रखें। जो रिटर्न नहीं मांगे जाते हैं तो जब आगे हैंडलूम सेक्टर का कपड़ा निर्धारित किया जायगा तब अवश्य मांगे जायेंगे और उनकी आवश्यकता अवश्य समझी जायगी। इसलिये यदि ब्योरेवार आंकड़े नहीं मांगे जाते हैं तो आगे वह अवश्य मांगे जायेंगे।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह लाइसेंस की फीस रखना जायज है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, जायज है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हम इसको रखें या नहीं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि बजाय इसके कि लाइसेंस की प्रथा रखी जाय गवर्नमेंट के एक आदेश के द्वारा दुकानदारों से रिटर्न मांग लिये जायं? क्या वह इसको जारी करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि किसी व्यक्ति के लाइसेंस के तहत में कोई पेनाल्टी न रखें तो वह वाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह आंकड़े हमको दे। इसलिये लाइसेंस की पद्धति को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें पेनाल्टी का क्लाज होता है। कोई दूकानदार अगर समय के अन्दर आंकड़े नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ेगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या कृपा कर माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस लाइसेंस की प्रथा को चालू करने में कुछ स्टाफ भी बढ़ाया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो स्टाफ को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है, जो कटा छटा स्टाफ बाकी है वही उस कार्य को कर रहा है।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार कृपा कर लाइसेंस की फीस को घटाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लाइसेंस क प्राप्त करने में कुछ असुविधा जब तक थी सरकार ने उन असुविधाओं को दूर करने के लिये आदेश जारी कर दिये थे। जहां तक लाइसेंस की फीस घटाने का प्रश्न है उसमें सरकार ने यह निर्णय किया है कि अभी तो यह घटायी नहीं जा सकती है लेकिन आइन्दा घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस पर अगले वर्ष विचार कर लेंगे या बीच में बजट बनाते समय उस पर विचार कर लिया जायगा।

सामान्य विज्ञान की शिक्षा के लिए सहायता पाने वाले जूनियर हाई स्कूल

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—३० मार्च, सन् ५५ के प्रश्न ११—१२ के पूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइंस के लिये रुपया प्रदान किया गया है?

श्री बनारसी दास—उत्तर प्रदेश शिक्षा कोष से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा निम्नलिखित १० जूनियर हाई स्कूलों को जनरल साइंस के लिए रुपया प्रदान किया गया :—

(१) मेहनाजपुर।
(२) देवगांव
(३) मोहमदाबाद।
(४) यहियापुर।
(५) घोसी।
(६) फतेहपुर टालरतोई।
(७) माहुल।
(८) कोयल्सा।
(९) जीयनपुर।
(१०) निजामाबाद।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या इस विभाग के लिये इन स्कूलों के अलावा कुछ और स्कूलों को भी सहायता प्रदान की गयी है?

श्री बनारसी दास—जिनको दी गई है उसकी सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि जिन स्कूलों को यह सहायता दी गई है उनमें जनरल साइंस का सामान नहीं है और अध्यापक भी नहीं रखे गये हैं?

श्री बनारसी दास—शिक्षा विभाग की ओर से इसका प्रबन्ध किया जायगा और इसके लिये आदेश भी दे दिये गये हैं। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है हमारे विभाग के पास कि वहां सामान नहीं पहुंचा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इन स्कूलों में से प्रत्येक को कितना-कितना रुपया दिया गया?

श्री बनारसी दास--७०० रुपया रेकरिंग ग्रांट और १,५०० रुपया नान रैकरिंग ग्रांट हरएक को दी गई है।

शुगर, सूती तथा जूट मिल्स स्थापित करने के लिए पर्यवेक्षण

*१९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों की सर्वे, शुगर, सूती तथा जूट मिलों को स्थापित करने के लिये की जा चुकी है?

श्री बनारसी दास--शुगर मिलों को स्थापित करने के लिये अब तक नैनीताल मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मैनपुरी, लखीमपुर-खेरी, आजमगढ़, बहराइच, पीलीभीत, तथा गाजीपुर जिलों की सर्वे की जा चुकी है। सूती तथा जूट मिलों को स्थापित करने के लिये कोई सर्वे नहीं की गई है।

*२०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वे का क्या परिणाम निकला है?

श्री बनारसी दास--उपरोक्त १० जिले शुगर मिल स्थापित करने के लिये उपयुक्त पाये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इन १० जिलों में से सब से पहले किस जिले में शुगर मिल खोलने का विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पहले तराई के क्षेत्र में किच्छा इत्यादि में खोलने का विचार है।

श्री गेंदा सिंह--कितने मिल पब्लिक सेक्टर से और कितने कोआपरेटिव बेसिस पर खोले जायेंगे, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेशीय सरकार का निर्णय यह है कि २ कोआपरेटिव मिलें हम पंचवर्षीय योजना में किच्छा इत्यादि में खोलें। चार कोआपरेटिव मिलें बनाने की योजना हमने रखी है और अन्य मिलें प्राइवेट सेक्टर के तहत में होंगी।

श्री रामचन्द्र विकल--बुलन्दशहर जिले में शुगर मिल खोलने का क्या कोई स्मृतिपत्र विधायकों द्वारा माननीय मंत्री जी को दिया गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वहां एक मिल खुल गई है और थोड़े दिन हुए खुर्जा के एक धनपति महोदय मुझसे मिले थे वहां एक मिल खोलने के बारे में, लेकिन अधिक धन उनके पास नहीं था। मैंने उनसे कहा कि अगर कोआपरेटिव मिल खोलने की व्यवस्था वह करा सकें तो उस पर विचार करें। विधायकों के किसी स्मृतिपत्र की मुझे सूचना नहीं है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी गाजीपुर जिले में कोई शुगर मिल खोलने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जैसी कि सूचना दी गई है गाजीपुर भी उन जिलों में है जहां मिल खुलने वाली है, लेकिन प्रदेशीय सरकार ने गाजीपुर के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया है। प्राइवेट सेक्टर को अवश्य सरकार उचित सहायता देने को तैयार रहेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तराई एरिया में जो मिलें खुलने वाली हैं क्या सरकार भी उसमें कुछ शेयर खरीदेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वहां सरकार एक बहुत बड़ी ग्रोग्रर है और मिल में सब से बड़ा हिस्सा सरकार का ही होगा?

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार ने नई मिलें खोलने का इरादा वहां किया है जहां गन्ने की समस्या बहुत मुश्किल है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, गन्ने के विषय में सरकार के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। उन्हीं के निवारणार्थ वह उन स्थानों को प्राथमिकता दे रही है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--यदि कोई प्राइवेट कम्पनी मिल खोलना चाहे तो सरकार उसे क्या सहायता देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने घोषित किया है कि २५ फीसदी बिजली के रेट में कमी होगी और जमीन इत्यादि के दिलवाने में सरकार सहायता देगी। ऐसी घोषणा सरकार ने नई मिलें और नये व्यवसाय लगाने वालों के लिये की है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या अलीगढ़ जिले में भी कोई मिल खोलने के लिये सरकार ने या मंत्री जी ने आश्वासन दिया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक शुगर मिल के खोलने के आश्वासन का सम्बन्ध है मेरा आश्वासन प्रदेश के प्रत्येक स्थान के लिये है जहां प्राइवेट सेक्टर मिल लगा सकता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि जो लोग अपनी पुरानी मिलों को नहीं चला सकते हैं उनको कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार इस पर विचार कर सकती है कि जो मिलें ठीक-तौर से नहीं चल रही हैं, जिनके लिये कंट्रोलर की नियुक्ति होती है, यदि कोआपरेटिव संस्थाएं उन्हें चलाना चाहें तो सरकार इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार कर सकती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मुख्य उद्योग-धंधे

*२१--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, कितनी key industries प्रदेश में खुलीं?

श्री बनारसी दास--कोई नहीं।

*२२--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सहायता मांगी गई और उन्हें कोई योजना भेजी गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--ऐसा क्या कारण है जिसके होने से सरकार ने इन्डस्ट्री खोलने की योजना नहीं बनाई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान खेती और उससे लगे हुए उद्योगों की ओर गया और उन्हीं के लिये उसने प्राथमिकता प्रदान की।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार ने कोई योजना इस समय बनाई है? यदि व बनाई है, तो क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि की इन्डस्ट्री के माननीय सदस्य का मतलब इन्डस्ट्री से है तो बेसिक इन्डस्ट्रीज का सम्बन्ध तो स्वयं केन्द्रीय सरकार से है। केन्द्रीय सरकार पब्लिक सेक्टर में कुछ इडस्ट्रीज लगाने वाली है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है उसमें केन्द्रीय सरकार ने २,५०० करोड़ रुपया रेलों के लिये तथा बड़ी और छोटी इन्डस्ट्रीज के लिये रखा है। उसके तहत में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया है कि इस प्रदेश में जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे सरकार द्वारा लगाये जाने वाले हैं उनके लिये कुछ हिस्सा मिले।

जहां तक ऐसी इंडस्ट्रीज का संबंध है प्रदेश की सरकार ने ऐसे उद्योगपतियों को ऋण के द्वारा मदद देने तथा बिजली की दर में कमी करके सहायता देने का वचन दिया है। ५-७ उद्योगों के विषय में उद्योगपतियों से बातचीत हो चुकी है, कदाचित वे इसी वर्ष या अगले वर्ष तक कुछ उद्योगों को लगा देंगे। उन उद्योगों में मुख्य ये हैं--सोडा ऐश, पेपर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री एलमोनियम फैक्टरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री तथा फेन फैक्ट्री। इसके अतिरिक्त जहां तक शुगर इंडस्ट्री, का संबंध है, उसका वर्णन मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कर दिया है।

प्रतापगढ़ जिले की बाघराय कुन्डा तहसील में एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार

*२३--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार को पता है कि जिला डिस्पेन्सरी एडवाइजरी कमेटी ने बाघराय कुन्डा तहसील, जिला प्रतापगढ़ में एक एलोपैथिक अस्पताल बनाने की सलाह सरकार को दी है

श्री बनारसी दास--जी हां।

*२४--श्री रामनरेश शुक्ल--यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है?

श्री बनारसी दास--प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम नरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस पर अंतिम निर्णय सरकार कब तक करेगी?

श्री बनारसी दास--अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्णय किया जायगा।

श्री राम नरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि इस स्थान पर एक औषधालय खोलने के लिये सन् ५० में सरकार ने निर्णय किया था?

श्री बनारसी दास--जी हां, यह सही है। जब प्रांत में १०४ डिस्पेंसरीज बनने जा रही थीं, उस समय यह निर्णय लिया गया था परन्तु अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की वजह से प्रगति को धीमा करना पड़ा। बाद को जिला परामर्शदात्री समिति ने उस स्थान को बदल कर दूसरे स्थान की सलाह दी। अब फिर जिला परामर्शदात्री समिति ने इस स्थान के लिये सिफारिश की है। यह सिफारिश जून के महीने में सरकार के पास आयी और सरकार ने उसको संचालक महोदय के पास भेज दिया है। अगले साल सरकार उस पर विचार करेगी।

महिला डाक्टरों को सिविल सर्जन के पदों पर नियुक्त करने की मांग

*२५--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में लिये जाने वाले डाक्टरों की योग्यता पुरुष तथा महिलाओं के लिये समान नहीं है?

श्री बनारसी दास--समान हैं।

*२६--श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या आवश्यक योग्यता एवं क्षमता रखने वाली महिलाओं को सिविल सर्जन अथवा डाइरेक्टर आदि पदों पर पदोन्नति के लिये समान रूप से उनके नाम पर भी विचार किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--सिविल सर्जन का पद महिला डाक्टरों के लिये अभी नहीं खुला है। उप-संचालक, अतिरिक्त संचालक तथा संचालक के पदों पर नियुक्ति चुनाव (selection) द्वारा होती है और ऐसे अवसर पर राज्य में काम करने वाले सब ही पदाधिकारी, महिला तथा पुरुष का विचार किया जाता है।

एक दृष्टिकोण यह है कि सिविल सर्जन का कार्य महिलाओं को करने में कठिनाई होगी परन्तु सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है और यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि किसी स्त्री डाक्टर ने शिक्षा बराबर पायी हो, सर्विस भी बराबर हो तो फिर उनको संचालक और उप-संचालक का पद क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है कि स्त्रियों को संचालक या उपसंचालक नहीं नियुक्त किया जायगा।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिले में जितने महिला अस्पताल हैं, जो सिविल सर्जन के अधिकार में हैं, उन महिला अस्पतालों को जिला अस्पताल की लेडी सर्जन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि उत्तर में बताया गया है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिये स्त्रियां अधिक उपयुक्त नहीं हों और वे काम सिविल सर्जन के कामों में हैं। जैसे पोस्ट मार्टम और अदालतों में गवाही देने का काम। रोज-रोज अदालतों में गवाही देना उनके लिये ऐसा समझा जाता है कि वह ठीक न होगा। इसलिये सिविल सर्जन के सारे कामों की जिम्मेदारी स्त्रियों के सुपुर्द नहीं की गयी।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या सरकार ने किसी स्त्री को कभी सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त किया, जिससे वे इस नतीजे पर पहुंचे कि महिला सिविल सर्जन इस काम को नहीं कर सकती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त तो नहीं किया है लेकिन महिलाओं के कार्यों को सरकार ने गौर से देखा है, और उसे देखकर ही अपनी यह राय बनायी है कि कदाचित स्त्रियों को इस प्रकार के कार्यों के संबंध में कठिनाई हो। सरकार ने अभी उनको सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त नहीं किया है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि स्त्रियों और पुरुषों की डाक्टरी शिक्षा में कुछ भेद है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक शिक्षा प्राप्त करने का संबंध है उस में कोई भेद नहीं होता लेकिन जो शिक्षा दी जाती है उसके बाद उन को जो कार्य करना पड़ता है उसमें जरूर भेद होता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीया प्रकाशवती सूद के सुझाव पर कुछ अस्पतालों में स्त्रियों को भी सिविल सर्जन बनाने की सुविधा देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने दो-तीन वर्ष पहले इस विषय पर विचार किया था, और कभी यह निर्णय नहीं हुआ कि वह सिविल सर्जन नहीं बन सकेंगी लेकिन अभी स्थिति को देखते हुये और जैसा काम अब तक होता रहा है उस को देखते हुये अभी उन को नहीं बनाया जाता है, लेकिन जब और अधिक आवश्यकता महसूस होगी तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—क्या सरकार को मालूम है कि स्त्री समाज सरकार की इस नीति को गलत समझता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक तो सरकार के पास ऐसा कोई आवेदन-पत्र नहीं आया है कि स्त्री समाज ने इस चीज को हिकारत की नजर से देखा है, कभी-कभी एक दो स्त्रियों ने जो कन्सर्न होती हैं जरूर आवेदन-पत्र दिये लेकिन स्त्री समाज की ओर से ऐसा कभी नहीं लिखा गया ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सलेक्शन बोर्ड में कोई महिला भी सदस्य होती है जो सिविल सर्जनों का चुनाव करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो जो सलेक्शन बोर्ड होता है उसमें डायरेक्टर और सैक्रेटरी मेडिकल विभाग बैठते हैं, और अभी तक डायरेक्टर कोई महिला नहीं है इसलिये उनके बैठने का सवाल नहीं उठता लेकिन अगर डायरेक्टर आफ हेल्थ गैर हाजिर रहें तो उनकी उप-संचालिका जो महिला हैं वह बैठ सकती हैं और सेक्रेटरी के साथ उस निर्णय में भाग ले सकती हैं जो सलेक्शन के विषय में वह बोर्ड करता है ।

विकास विभाग द्वारा गुरसराय-बघैरा मौठ सड़क का निर्माण-कार्य

*२७—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विकास विभाग द्वारा Community Project Centre. गुरसराय का कितना रुपया गुरसराय-बघैरा मौठ सड़क बनाने को जमा किया गया है और किस माह में ?

श्री बनारसीदास—१,७५,००० रुपया फरवरी, १९५५ में ।

*२८—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सड़क अभी तक पूरी क्यों नहीं बन सकी है ?

श्री बनारसीदास—इस सड़क पर काम हो रहा है और २,५०,००० रुपया खर्च हो चुका है । जनता का चन्दा (कंट्रीब्यूशन) अभी नहीं मिल सका है ।

*२९—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार इस कार्य को ३१ मार्च, ५६ तक पूरा करने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार को इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि कसबा गुरसराय, अड़जरा तथा ग्राम पुरैनियां में सैकड़ों नरनारियों ने इस सड़क पर श्रमदान का सराहनीय कार्य किया है ?

श्री बनारसीदास—इस बात की सूचना तो सरकार के पास नहीं है । यह तो डिटेल की चीज है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसमें जनता का कंट्रीब्यूशन होना चाहिये ।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या यह सही है कि पी० डबलू डी० के एक उच्चाधिकारी के यहां से समय पर आज्ञा न पहुंचने के कारण इस सड़क का काम ८ महीने से बिलकुल बन्द है ?

श्री बनारसीदास—नहीं, यह नहीं है । वहां अवश्य पी० डब्लू० डी० के द्वारा इस सड़क का निर्माण होना है, क्योंकि अभी तक जनता का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इसलिये आदेश जारी करने में देर हुई है ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सड़क कितने मील लम्बी है ?

श्री बनारसी दास--इसकी तो मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है। लेकिन यह अनुमान है कि तमाम सड़क पर ८ लाख रुपये के करीब खर्च होगा।

झांसी में अमेरिकन मिशनरियों द्वारा बटर आयल का वितरण

*३०--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि झांसी में अमरीकन मिशनरियों द्वारा खाना आदि पकाने के लिये Butter oil नामक एक liquid पदार्थ दस सेर प्रति रुपया के हिसाब से जनता को दिया जा रहा है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--संयुक्त राज्य अमेरिका से Relief Supplies Agreement के अन्तर्गत प्राप्त कुछ Butter oil झांसी के बिशप के पास बिना मूल्य लिये वितरित करने के लिये भेजा गया था। प्रारम्भ में कुछ स्थानों पर पादरियों ने ढुलाई इत्यादि का व्यय निकालने के लिये दो आना प्रति टीन मूल्य लिया था। परन्तु बाद में बिशप की आज्ञा से यह बन्द कर दिया गया।

*३१--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार अन्वेषण करा कर यह बताने की कृपा करेगी कि वह किन पदार्थों का बना है तथा उससे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जन-स्वास्थ्य अधिकारी झांसी की रिपोर्ट है कि यह Butter oil खाने में अच्छा है एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पादरी लोग उक्त आयल बांटने के पहले लोगों से ईसाई धर्म का गाना गवाते हैं और इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करते हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि ऐसा है और आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--यदि माननीय सदस्य कोई लिखित देंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी और जानकारी की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को पता है कि लखनऊ में भी कल से यह आयल मुफ्त बांटा जा रहा है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि धर्म का प्रचार करना अमेरिकन मिशनरियों के लिये प्रतिबन्धात्मक है?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी उक्त आयल का अनुसंधान कराकर यह जानने की कृपा करेंगे कि उसका स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--उत्तर में बताया जा चुका है कि वहां के स्वास्थ्य अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि इस तेल से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

*३२-३३--**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)--[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३४-३६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[५ सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ४५-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

असिस्टेंट डेवलपमेंट अफसरों के चुनाव में हरिजन

*३७--श्री जोरावर वर्मा--क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हाल में जो असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसरों का चुनाव हुआ है उसमें हरिजनों की क्या संख्या है तथा कुल कितने प्रार्थना-पत्र इन स्थानों के लिये आये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--६ हरिजन हैं कुल २१९ प्रार्थना पत्र आये थे।

*३८--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह चुनाव किस प्रकार किस तिथि को किया गया और चुनाव का प्रतिफल कब घोषित किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चुनाव कमेटी द्वारा हुआ था। प्राथमिक छंटनी के लिये कमेटियां बनाई गई थीं और मुख्य कमेटी साक्षातकार के लिये अलग बनाई गयी थी। चुनाव ११ अप्रैल से १६ अप्रैल, १९५५ तक किया गया चुनाव का प्रतिफल मई, १९५५ में घोषित किया गया था।

*३९--श्री विश्राम राय--[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०--श्री लक्ष्मणराव कदम--[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले के अन्तर्गत कुओं की सब्सिडी

*४१--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला झांसी में तीन सालों के अन्दर कितने कुओं की सब्सिडी मंजूर की गयी और उनमें से कितने रुपयों का भुगतान हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर कुछ समय बाद आपको दी जा सकेगी।

जालौन जिले के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर तथा सलैया बुजुर्ग के कुओं से पानी का निरन्तर बहना

*४२--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर, परगना जालौन में एक कुआं और ग्राम सलैयाबुजुर्ग में दो कुयें ऐसे हैं जिनसे वर्षों से निरन्तर पर्याप्त मात्रा में पानी बहता रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*४३--श्री चित्तरसिंह निरंजन--यदि हां, तो सरकार उन कुओं के जल को सदुपयोग में लाने के लिए कोई सिंचाई की योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन कुओं का जल निष्काशन वेग, इतना मन्द है कि वे सिंचाई कार्य हेतु पूर्णतयाः अनुपयुक्त हैं।

कानपुर जिले में नलकूप निर्माण

*४४--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में कितने नलकूप बने हैं और उनका निर्माण सफल है या असफल ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में ६ सरकारी नलकूप बनाये गये जिनमें से ४ सफल हुये तथा शेष २ उचित भू-स्तर न मिलने के कारण असफल हुये। इसके अतिरिक्त इस जिले में ४ निजी तथा सहकारी नलकूप भी बनाये गये जिनमें से केवल २ पूर्ण रूप से सफल हुए।

बहराइच जिले के चफरिया बाजार सुजौली-सेमरी क्षेत्र में पम्पिंग सेट लगवाने की आवश्यकता

*४५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में निशानगाड़ा और बिछिया स्टेशन के पास के चफरिया बाजार सुजौली-सेमरी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिये पम्पिंग सेट लगवाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न ६ व ७ को स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—यह प्रश्न संख्या ६ व ७ जो अनन्तस्वरूप सिंह के हैं, इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना है कि ये दूसरी बार के लिये स्थगित कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—नियम के अनुसार तो अब यह समझा जायगा कि उनका उत्तर मिल गया। अनन्तस्वरूप सिंह जी का कोई पत्र होता कि ये स्थगित कर दिये जायं तो संभव था कि वैसा कर दिया जाता लेकिन वे आज उपस्थित नहीं थे और उनका नाम पुकारते ही यदि यह बात कही गई होती तो भी संभव था कि वे स्थगित कर दिये जाते।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये, श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये, १ सदस्य निर्वाचित करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये १ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इस प्रस्ताव के अनुसार जो कार्यक्रम मैंने निश्चित किया है वह यह है— नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि .२० सितम्बर, १९५५—नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि का समय .२१ सितम्बर, १९५५ को ४ बजे सायंकाल सचिव विधान सभा के कमरे में—नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय २७ सितम्बर, १९५५ को सायंकाल ४ बजे तक।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी जायगी।

†उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५
*खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा। कल श्री रामेश्वरलाल जी के इस संशोधन पर विवाद हो चुका है अब उस पर राय ली जायगी।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के शब्द "होता हो" के बाद शब्द "अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।"

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उस स्थिति के लिये है जब कि कोई आवास गृह गोदाम के रूप में अब तक उपयोग में न लिया जाता रहा हो और उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेना चाहे तो उसके लिये उसको सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती है तो सरकार अपना निर्णय इस संशोधन के द्वारा तभी देगी जब कि वह उसके स्वामी या अध्यासी को यह अवसर दे कि जो कुछ भी उसको कहना है या जो कुछ आपत्ति हो वह सरकार के सामने प्रस्तुत करे। इतना ही इसका उद्देश्य है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यों तो जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है उसमें स्वतः काफी दोष हैं। मगर उनके तमाम मौलिक दोषों में परिमार्जन कुछ शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन से होता है। इसलिये मैं इस संशोधन के पक्ष में ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, तीसरा जो खंड है उसका प्रतिबन्धात्मक जो वाक्य है, "फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे आवासों को प्राप्त कर सकता है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का विषय है मैं यह बता दूं कि सरकार इसको मंजूर करने जा रही है। अगर भाषणों की आवश्यकता हो तो करें।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)—आपके कहने से वह मंजूर कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—अगर माननीय मंत्री जी इसको मान रहे हैं तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन्हीं के सुभीते के लिए कह रहा था।

****श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—सरकार ने जो इस संशोधन को मान लेने का निश्चय किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात दिलाना चाहता हूं कि जहां पर भवन के इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा लिये जाने का प्रश्न है, वहां सरकार सुनने का अवसर

---

†१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।
*१३ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही से क्रमागत।
**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दे रही है लेकिन जहां कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया है वहां सुनने का अधिकार नहीं दे रही है। यह बड़ी असंगति रह जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा पर विचार करने के बाद कलेक्टर की भी दफा पर विचार करेंगे और अध्यासी को अवसर देंगे। राज्य सरकार की दफा में तो सुनने की व्यवस्था है लेकिन कलेक्टर पहले पास करता है उसके द्वारा सुने जाने की कोई व्यवस्था न हो तो वहां बड़ी असंगति हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—कलेक्टर कहां है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसी में है। खंड ३ का उपखंड (१) है। प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में लिखा है, "कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भंडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" तो इसके पहले कलेक्टर भी पिक्चर में आता है। पहले कलेक्टर निश्चय करेगा, फिर सरकार को लिखेगा। तो मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अगर कलेक्टर की दफा भी आकूपायर को सुनने का मौका मिले तो नौबत ही न आयेगी कि राज्य सरकार के पास जाय।

श्री राजनारायण—तीसरे खंड का जो दूसरा क्लाज आ रहा है उसमें यह आयेगा नारायणदत्त जी का संशोधन। उसमें हम अपना संशोधन फिर रखेंगे। उसी तरह से एक संशोधन को माननीय मंत्री जी ने मान लिया इसके लिये मुबारकबाद दी जा रही है। जिस बात को आप कह रहे हैं वह सब क्लाज (२) में आ रही है। उसमें आप संशोधन फिर कर दीजिये।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय शम्भूनाथ जी ने पेश किया है, उसमें मैं एक शाब्दिक संशोधन करना चाहता हूं। माननीय शम्भूनाथ जी का संशोधन यह है, "राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।" मैं चाहता हूं कि "राज्य सरकार" और "कोई" के बीच में "द्वारा" बढ़ा दिया जाय। "राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।" यह वाक्य सीधा भी हो जाता है और मतलब भी साफ हो जाता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मैंने उसको ठीक कर दिया था। "दो जायगी" के स्थान पर "देगी" मैंने पढ़ा था। वह गलती से छप गया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस प्वाइंट को साफ करना चाहता था, यह जो प्वाइंट उठाया है।

श्री अध्यक्ष—वह प्वाइंट उसमें नहीं आता। उन्होंने कोई संशोधन नहीं दिया है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति, माननीय नारायणदत्त जी ने उठाई है, मैं समझता हूं कि वह यहां पर लागू नहीं होती है क्योंकि जब तक कोई आवास अब तक स्टोरेज के लिये नहीं उपयोग किया जा रहा है उसको वह तब तक रिक्यूजीशन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से न ले ली जाय। तो मेरा संशोधन यह है कि स्वीकृति बिना उसको सुनने का अवसर दिये नहीं दी जायगी...

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन जरा पढ़ दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।"

इसमें 'दी जायगी' ग़लत छप गया है उसके स्थान पर 'देगी' होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा निवेदन यह था कि चूंकि पहले कलेक्टर इस बात का निश्चय करेगा.....

श्री अध्यक्ष—इसकी तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं समझता था कि आप भाषा सम्बन्धी कोई सुझाव दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—भाषा तो ठीक करनी ही पड़ेगी। "राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं किया जायगा।" जहां पूर्व स्वीकृति लिखा है तो पूर्व स्वीकृति और आज्ञा में फर्क होता है और इस वजह से भाषा ठीक करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट कर दें।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जो संशोधन हमने स्वीकार किया है वह इस प्रकार है :—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।" यह ठीक ही है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं इसमें एक संशोधन देना चाहता हूं कि जिस तरह से कि "राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी" माना गया है उसी भाव को हम यहां कलेक्टर के लिये भी रखना चाहते हैं, जो यह दूसरा। है इसमें कि "कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।" मेरा संशोधन यह है कि इसके बाद यह शब्द जोड़ दिये जायं। "ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का समुचित अवसर देने के बाद ही कलेक्टर निर्णय देगा।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह जो खंड ३ का उपखंड (२) है इसमें लिखा है :—

(२) "कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।"

अब आप यह देखेंगे कि अगर हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो उपखंड (१) और (२) में विरोधाभास हो जाता है क्योंकि "जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो अगर यह कलेक्टर ने फैसला कर दिया तो फिर राज्य सरकार के पास कोई स्वीकृति का सवाल ही नहीं जायगा क्योंकि कलेक्टर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सामने आता है। कलेक्टर यह फैसला कर देगा कि यह भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं। अब अगर किसी स्वामी को यह शिकायत है कि हमने कभी स्टोर नहीं रखा है इस आवास में जिसको आप ले रहे हैं, और कलेक्टर कह दे कि नहीं साहब इसमें तो भांडार रखा जा सकता है और रखा जायगा तो स्वामी वंचित हो जाता है जो श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी का संशोधन सरकार ने स्वीकार किया है है उपखंड (१) में उसको लागू करवा सकने के लिये। इसलिये यह बड़ी भारी असंगति रह जाती है और अगर माननीय शम्भूनाथ जी के संशोधन को वास्तव में लागू करना है तो बिना इस उपखंड (२) में या तो निश्चायक और अंतिम निर्णय जो है इसको न माने, मंत्री जी सारे उपखंड को समाप्त कर दें, और अगर समाप्त नहीं करते हैं तो फिर यह अवश्य कलेक्टर के सामने स्वामी को अधिकार दिया जाना चाहिये अन्यथा उप-खंड (२) सारे का सारा निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो दो शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें 'भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो' और इसमें है "उपयुक्त है या नहीं" तो इसमें दोनों में फर्क है। इनमें कोई विरोध नहीं है। कलेक्टर यह निश्चय कर सकता है और उसका निर्णय निश्चायक होगा कि वह उपयुक्त है या नहीं। लेकिन "प्रयुक्त न होता हो" यानी जो अभी तक प्रयोग में न लाया गया हो उसका अधिग्रहण बिना सरकार की आज्ञा के नहीं किया जायेगा। इसलिये इनमें कोई विरोधाभास नहीं। तो मेरा संशोधन स्वीकार होने के बाद यदि उप-खंड (२) इसी तरह बना रहे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसकी आवश्यकता को आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। यदि इस विधेयक का क्लाज ३ पढ़ा जाय तो उसमें यह स्पष्ट लिखा है:—

"३—(१) यदि कलेक्टर की राय खाद्यानों को भंडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है। और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी) जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय।"

श्रीमन्, आप स्वतः देखेंगे कि कितना बड़ा अधिकार, अनियंत्रित अधिकार कलेक्टर के हाथ में जा रहा है। सरकार की ओर से यह तर्क प्रस्तुत होता रहता है। बारबार उद्देश्य को अच्छे शब्दों में रख कर और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो तानाशाही और केन्द्रीयकरण की नीति सरकार अख्तियार करती है, उससे उस उद्देश्य की आत्मा ही मर जाती है। उसी को श्रीमन्, कुछ राहत मिले, कुछ सहूलियत पैदा हो और कुछ उसका जस्टीफिकेशन भी हो और जिसके आवास को लिया जाय वह बेचारा कुछ कह भी सके जिलाधीश के सामने जाकर, कि यदि यह हमारा आवास लिया जायगा तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी, कृपया आप इसको न लें या उसके समानान्तर कोई दूसरा स्थान या आलटरनेटिव सजेशन (सलाह) भी दे सकें कि आप इसको न लें करके दूसरा ले लें ज्यादा अच्छा है। मगर जिस तरह से यह विधेयक प्रस्तुत है इसमें तनिक भी गुंजाइश नहीं। हां जो संशोधन सरकार की ओर से माना गया है श्रीमन्, उसमें इतनी बात जरूर कर दी कि ऐसा आवास जो भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, उसकी राज्य सरकार की आज्ञा जिलाधीश को लेना आवश्यक पड़ जायगा। जिलाधीश ऐसे आवासों को नहीं ले सकता बिना राज्य सरकार की पहले आज्ञा प्राप्त किये हुये। मगर ऐसे आवासों के लिए जो आवास की आज व्यक्ति विशेष भांडार के लिए प्रयुक्त कर सकता है, और उसके लिए उसकी आवश्यकता

है या उसको किसी दूसरे सामाजिक कार्य में वह आदमी लगा रहा है तो उसको लेने के लिए जिलाधीश के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जिलाधीश जब चाहे तब उसको ले सकता है और किस तरीके से ले सकता है इसके बारे में भी जिलाधीश को ही अन्तिम निर्णय देने का अधिकार दिया जाता है। तो मैं जब हर नुक्ते नजर से इस चीज को देखता हूं, तो यह संशोधन बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि जिलाधीश के लिए कम से कम इतना तो प्रतिबन्ध रहे कि वह जिसके आवास को ले उसको समुचित अवसर प्रदान करे सुनने के लिए। उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकतायें हैं, और उस आवास को वह स्वेच्छा से सरकार को क्यों नहीं समर्पित करना चाहता, इन तमाम बातों को वह उसके सामने कह सके, यही इस संशोधन का तात्पर्य है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसे निर्दोष संशोधन को मानने में भी सरकार को क्या आपत्ति हो रही है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य मानें और यदि वह इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो बड़ी ज्यादती हो सकती है, बड़ा जोर जुल्म हो सकता है, और इसमें व्यक्ति विशेष के प्रति कलेक्टर का, जिलाधीश का रुझान और राग द्वेश भी कभी-कभी काम में आता रहेगा। इन तमाम बातों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह एक छोटा सा संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है कि जिस वक्त आवास लिया जाय उसको सुनने का मौका जरूर दिया जाना चाहिये। और आप श्रीमन्, अगर दुनिया की तमाम पद्धतियों को देखेंगे तो हर व्यक्ति को जिसकी कोई चीज अगर आप लेते हैं तो उसको सुनने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार यह नहीं मानती तो यह माना जायगा कि यह सरकार हठवादिता पर तुली हुई है, और अपने कर्मचारियों के हाथ अनियंत्रित शक्ति देकर अपने आदमियों को सेटिस्फाई करना चाहती है जो जनता के हित के विरुद्ध है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, माननीय शम्भूनाथ जी ने जो विचार इस अमेंडमेंट के सिलसिले में पेश किये हैं वह उचित ही हैं। यह जो संशोधन माननीय राजनारायण जी ने रखा है और जो उन्होंने यह आपत्ति की है कि उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि पहले संशोधन में तो अध्यासी को और जो मालिक हैं उस भांडार का उसको सुने बिना कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा, किन्तु इससे कोई सम्बन्ध मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का समुचित अवसर देने के बाद ही कलेक्टर निर्णय देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) पर यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) अविलम्ब प्राप्य (readiley traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो तो, सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, की जायगी।	तामील

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैं इस संशोधन को कुछ परिवर्तित रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है--

खंड ४ की पंक्ति ५ में शब्द "तो" और शब्द "सरकारी गजट" के बीच में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा ।"

श्री अध्यक्ष--यह साफ नहीं हुआ। आप मेरे पास भेज दें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैं अभी लिख कर भेज दूंगा । इस संशोधन का मतलब यह है, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, उसमें यह है कि अगर कोई अध्यासी या स्वामी उस भांडार का नहीं मिले, तो विधेयक में यह लिखा हुआ है कि सरकारी गजट में विज्ञप्ति तामील के लिये पर्याप्त समझ ली जायगी । उस दिनांक से ३ दिन के अन्दर उसको अधिग्रहण किया जावेगा । लेकिन इसमें मैं यह बढ़ाना चाहता हूं कि जो भांडार आवास लिया जाने वाला है उस पर भी एक नोटिस चिपकवा दिया जाय और तब वह ग्रहण किया जाय । इतना ही संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष--इसको आप फिर से पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--खंड ४ की पंक्ति ५ में शब्द "तो" और "सरकारी गजट" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा ।"

जैसा मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, सरकारी गजट के गांव में तो कहीं दर्शन ही नहीं होते और शहर में भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो पढ़ते हैं । अगर सरकारी गजट में सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकलवा कर किसी स्टोरेज के लिए जगह रिक्वीजीशन होने लगी तो इसमें लोगों को बड़ी भारी असुविधा होगी और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा । क्योंकि उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब नोटिफिकेशन हुआ। एक दम सरकारी अधिकारी जायेंगे और उसे निकाल बाहर करेंगे । इसलिए अगर इसमें यह डाल दिया जाय कि नोटिस चिपकाये जायेंगे, तो कम से कम उसको, उसके परिवार वालों को, उसके मित्रों को यह पता चल जायगा कि यह आवास गृह अब अधिग्रहण किया जाने वाला है, इसलिये वह उसका प्रबन्ध कर सकता है । जैसा कि बिल में है, उस तरह से तो ऐसी सूचना की संभावना ही नहीं रहती बिना पता लगाये कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से निकाल दिया जा सकता है । इसलिए मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, केवल मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि जहां पर शब्द "प्रमुख" स्थान किया गया है उसकी जगह "उपयुक्त" होना चाहिये ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--अगर इसमें कोई शाब्दिक हेर-फेर है तब तो दूसरी बात है, लेकिन मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--पहले वह अपना संशोधन रख रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसमें जो यह है, "भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर" तो प्रमुख शब्द की जगह "उपयुक्त" होना चाहिये । प्रमुख स्थान तो अन्दर भी हो सकता है जहां बैठक है । तो बिल्डिंग का उपयुक्त स्थान ठीक जंचे, वहीं नोटिस चिपकाना चाहिये । इसलिए कानूनी दृष्टि से यह ज्यादा सुन्दर है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोधन छपा हुआ है, सम्भवतः उसमें भी कुछ संशोधन अपने संशोधन में किया है ।

श्री अध्यक्ष--यह उन्होंने परिवर्तित रूप में पेश किया है। वह यह है कि सिर्फ आखिर में संशोधन में "भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा" यह शब्द जोड़ देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--उनका, श्रीमन्, जो तात्पर्य है वह यह है कि जो आदमी उस जगह न हों, जिनके आवास हैं तो केवल सरकारी गजट में ही निकल जाय यह काफी नहीं है, बल्कि ऐसे स्थान पर नोटिस होना चाहिये जो आसानी से देखा जा सके, पढ़ा जा सके और जिसको वह समझ सके कि हमारा यह भांडार लिया जा रहा है। इस संशोधन में भी, श्रीमन्, मैं एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह संशोधन हमारा यह है कि उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे स्वामी अथवा अध्यासी के भांडार पर जो अविलम्ब प्राप्य न हो १५ दिन तक नोटिस चिपका रहने के बाद ही कब्जा किया जायगा।"

श्री अब्दुलमुईज खां (जिला बस्ती)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी का जो संशोधन था उसका समर्थन करते हुये माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उसमें एक शाब्दिक संशोधन पेश किया। अब माननीय राजनारायण जी उस संशोधन से संबंधित, यानी जो माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने उपस्थित किया है और जो सदन के सामने इस समय है और इसमें एक संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है वह सदन के सामने है, लेकिन माननीय राजनारायण जी एक दूसरा संशोधन उपस्थित कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करना मुनासिब है ?

श्री अध्यक्ष--जो माननीय शम्भूनाथ जी ने संशोधन दिया है उसी में संशोधन उन्होंने थोड़ा सा किया है और चूंकि वह परिवर्तित रूप में किया है उन्होंने और इसके लिये कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया तो सदन ने अगर उनके संबंध में नोटिस की परवाह नहीं की तो राजनारायण जी के लिए भी नोटिस की परवाह नहीं होना चाहिए, और मैं उनको इजाजत देना उचित समझता हूं। तो ऐसी हालत में मैंने उनको इजाजत दे दी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उससे हमारा केवल यही मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो वहां पर है नहीं उसको कम से कम दूसरे लोग भी जो कि वह चिपका हुआ नोटिस रहेगा उसे पढ़ेंगे और अगर कोई कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है या दूसरे स्थान पर है तो उसको एक चिट्ठी डाल कर सूचना दे सकते हैं कि तुम्हारा यह भांडार लिया जा रहा है, और यदि १५ दिन का समय दे दिया जायगा तो उसको पत्र व्यवहार करने और पत्र को पाकर आने का एक समुचित मौका मिल जायगा। इसलिये मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया कि ऐसा व्यक्ति जो वहां है नहीं, जो ट्रेसेबिल नहीं है उसको दूसरे व्यक्ति की बनिस्बत अधिक समय दिया जाना चाहिये। इस संशोधन के विरोध में सरकारी पक्ष के लोग दलील दे सकते हैं मगर मैं एक ही वाक्य कह कर उनकी तमाम दलीलों का उत्तर दे देना चाहता हूं, कि यदि सरकारी पक्ष की ओर से यह दलील आती है कि तब तो हमारा सारा अन्न ही खराब हो जायेगा तो सरकार को यह समझना चाहिये कि सन् ४६ से और एक बार तो, श्रीमन्, उन्होंने जबर्दस्ती गल्ला वसूली की थी, तब से उनको भांडार की आवश्यकता पड़ती चली जा रही है। और यह कह देना कि अब तो हम डिकंट्रोल करते जा रहे हैं इसलिये हमने पुराने ऐक्ट को आवश्यक नहीं समझा इसीलिये एक दूसरा विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही नाकाफी है। सरकार को बार-बार आगे आने वाली परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिये, और सरकार को यह समझना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कि अन्न का एकत्रित करना आवश्यक हो.....

श्री अध्यक्ष—आप विधेयक पर बोलने लगे हैं। संशोधन पर ही बोलिये।

श्री राजनारायण—उसी पर मैं आ रहा हूं। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस तर्क को सामने रख कर.....।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि क्लाज ३ जो कि हम पास कर चुके हैं, उसमें अवधि ३ दिन की है और अब राजनारायण जी जो १५ दिन की नोटिस कह रहे हैं यह कैसे इससे संगत हो सकता है, इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो आज्ञा देने पर तामील की बात है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, क्लाज ३ में बिलकुल स्पष्ट है कि तीन ही दिन के अन्दर उसे खाली कर देना होगा, तो यह कैसे उसमें फिट इन होगा?

श्री अध्यक्ष—मैं इसको अवैध नहीं समझता हूं, आपकी आपत्ति ठीक नहीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने जो खास-खास बातें थीं, अपने संशोधन के पक्ष में थोड़ा समय लेकर निवेदन करने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इसकी गम्भीरता और गुरुता पर ध्यान दिया जायगा, और माननीय मंत्री जी अपनी हठवादिता की नीति पर अमल नहीं करेंगे बल्कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर हमारा संशोधन मानेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि वह स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन मैं इस संबंध में दो लफ्ज कहना चाहता हूं कि जो माननीय नारायणदत्त जी तिवारी चाहते हैं कि "प्रमुख" के स्थान पर "उपयुक्त" रख दिया जाय। अगर यह हो जायगा तो फिर उसके डिस्क्रीशन पर होगा कि वह चाहे तो घर के पिछवाड़े नोटिस लगा दे और वह इसको उपयुक्त स्थान समझ सकता है और प्रमुख स्थान तो सहन या दर्वाजा वगैरह ही कोई स्थान हो सकता है और घर के अन्दर का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है। इससे भविष्य में लीगली कठिनाई हो सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने रखा है उसमें मैं यह शब्द "डुग्गी पिटवाकर" बढ़ा देना चाहता हूं।

श्रीमन्, इसलिये मैं चाहता हूं कि गजट सब लोग पढ़ते नहीं हैं। इसलिये कहा गया है कि नोटिस चिपकायी जाती, लेकिन, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि नोटिस भी नहीं चिपकाया जाता है, और बिना चिपकाये ही कहा जा सकता है कि नोटिस चिपकायी गयी थी। इसलिये इसको साफ करने के लिये और लोगों को जानकारी हो जाय, इसका उपाय है कि डुग्गी पिटवा दी जाय। मेरा खयाल है कि इसके बाद स्वामी, अध्यासी या शहर के किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि वह कह सके कि जानकारी नहीं हुई। इसलिये इन शब्दों को बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना है कि नोटिस चिपका कर, डुग्गी पिटवा कर तथा सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, यह तीनों चीजें रहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। वैसा ही एक संशोधन मैंने

दिया था जो आगे दिया हुआ है। इसमें तीन बातें तीन सदस्यों ने कही हैं। एक बात कही गई है कि प्रमुख के स्थान पर उपयुक्त रख दिया जाय। यह बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि प्रमुख स्थान के माने यह हैं कि मकान का दरवाजा मुख्य स्थान हो सकता है और उपयुक्त में संशय है, इसलिये प्रमुख स्थान ही ठीक है। दूसरा संशोधन माननीय राजनारायण जी ने दिया है कि १५ दिन बाद, तो यह भी असंगत है। दूसरी बात यह है कि जब सरकार को मकान की या आवास की आवश्यकता है तो जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही समय देंगे। अगर आवश्यकता बहुत अधिक है तो थोड़ा समय देंगे। विधेयक में दिया है कि कम से कम तीन दिन हो तो उनको अधिकार है कि वह ५–७ दिन या महीना भर दे सकते हैं। यह तो कलेक्टर के सुभीते और डिस्क्रीशन के ऊपर होगा। साथ में यह भी है कि गजट में प्रकाशित होगा तो इसमें तो काफी समय लगता है और इसमें वह ज्यादा समय देंगे। इसलिये जो आपका संशोधन आया है उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इस लिये मेरे खयाल में वह बिलकुल ठीक नहीं है। तीसरा संशोधन श्री रामसुन्दर पांडेय ने दिया है कि डुग्गी पीटकर इसको प्रकाशित किया जाय। यह स्थान अधिकतर शहर में होंगे। यह गांवों में कम मौका पड़ेगा। ऐसी सूरत में इसकी आवश्यकता नहीं है। जब उसमें नोटिस चिपका दिया गया और गजट में प्रकाशित हो गया तो फिर इतनी ज्यादा और एहतियात की आवश्यकता नहीं है। इसलिये और जितने संशोधन यहां पर आये हैं उनका विरोध करता हूं और श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुलमुईज खां—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो आपत्ति उठायी थी, उसको सुनने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय राजनारायण ने लिखित रूप में अपने संशोधन को न देकर हमको एक तरह से गड़बड़ में डाल दिया वरना उनके संशोधन का तात्पर्य जो होगा वह असल में तो जो शब्दावली खंड ३ में है वहां पर रिक्वीजिशन का आर्डर होगा; उस आर्डर के तीन दिन के भीतर या कोई अवधि जो अधिकारी मुकर्रर करे उसके अन्दर कब्जा ले सकता है। यह बात वहां पर कही गयी है लेकिन आपने जो संशोधन रखा है उसमें १५ दिन की लिमिट रक्खी गयी है। वह इसके विरुद्ध पड़ती है। ४ दिन के अन्दर वह पजेशन ले लेता है १५ दिन तो बहुत रहता है। उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। वह चीज चिपकी रहे उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। जब वहां पर तीन दिन का समय दे दिया गया है और ४,५ दिन में वह पजेशन ले सकता है तो १५ दिन की बात एक ऐबसर्ड सी हो जाती है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं;

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन चतुर्वेदी जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अंतिम शब्द उस संशोधन में यह है कि यदि किसी मालिक के मकान की आवश्यकता हो तो केवल यही नहीं कि गजट कर दिया जाय और अगर वह न मिले या उसको छोड़ दिया जाय, बल्कि उसके लिये यह परमावश्यक है कि उसके निवास स्थान के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दी जाय। उससे यह लाभ होगा कि मान लीजिये किसी कारण से यह मनुष्य नहीं मिलता है। कहीं गया है या कुछ पता नहीं देता। तो अब चपरासी ऐसा करते हैं वह लिखवा देते हैं कि हाजिर नहीं मिला। उस पर दो आदमियों के दस्तखत करा लेते हैं तो वह बात उसके विरुद्ध पड़ गयी। परन्तु यह आवश्यक है कि यदि वह नहीं मिलता है तो उसके दरवाजे पर, उनके मकान के दरवाजे पर नोटिस चस्पां होनी चाहिये। और यह बात भी अगर खयाल में आती है तो उसके साथ जब रूल्स बनेंगे तब यह ठीक किया जा सकता है। वह नोटिस चस्पां होगा। चस्पां करने के पश्चात् भी गलती हो सकती है परन्तु देखने में यह आता है कि चपरासी ने नोटिस चस्पां कर दिया परन्तु कोई वास्तविक सूचना नहीं दी। एक फर्जी दिखाने के लिये अपने कागज में उसने लिख दिया कि नोटिस चस्पां कर दी और वास्तव में उसने नहीं किया। तो इसका उपचार यह हो सकता है कि वह दो आदमी जिनके हस्ताक्षर चस्पां करने के सबूत में

[श्री श्रीचन्द्र]

कराता है वह इनके अतिरिक्त गांव के प्रधान अथवा सरपंच के हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिये, और उनके हस्ताक्षर की भी उस पर आवश्यकता है। जिस समय चस्पां किया जाय तो इनके हस्ताक्षर भी कराये जायं। मैं आशा करता हूं कि यही अंतिम रूप में संशोधन है और जैसा संशोधन जैन साहब का है, मेरा है और चतुर्वेदी जी का है उसको स्वीकार करने की कृपा की जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, कल भी मैंने इस पर प्रश्न उठाया था। कल भी क्लोजर आया था। आप यहां पर उपस्थित नहीं थे। इस संबंध में दोनों बार विवाद हुआ था। हमने यह स्पष्ट किया था कि ऐडवाइजरी कमेटी के अनुसार इसके लिये डेढ़ घंटे का समय निश्चित किया गया है तो बीच में क्लोजर आना शोभा नहीं देता। इनको कन्वेंशन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसको स्पष्ट किये देता हूं। क्लोजर के बारे में माननीय सदस्यों को अधिकार रहेगा चाहे वह उसको मूव करें या न करें। यह हो सकता है कि २,४ व्यक्ति एक संशोधन के ऊपर कुछ समय ले लें या कुछ महत्व के संशोधनों पर समय ले लें। उनके ऊपर विवाद करके मत परिवर्तन अगर माननीय मंत्री करना चाहते हैं, और उस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में अध्यक्ष ही इस बात का निर्णय करेगा कि यदि कोई प्रस्ताव, क्लोजर का मोशन आवे कि प्रश्न उपस्थित किया जाय तो उस पर वाजिब तौर पर बहस हुई है या नहीं इस का निश्चय करे। और अगर वाजिब तौर पर काफी बहस नहीं हुई है तो वह उस क्लोजर को स्वीकार नहीं करेंगे जैसा कि कल माननीय उपाध्यक्ष ने उसको मंजूर नहीं किया। वह इसलिये नहीं किया क्योंकि वह समझते थे कि इस पर और बहस करने की आवश्यकता है। लेकिन पहले दो तीन संशोधनों के ऊपर ही सब लोग बोलना शुरू कर दें और १००–१५० संशोधन हों जिन पर विचार ही न होने पाये तो इस प्रकार से इतनी संख्या में संशोधनों पर पूरा विचार ही न हो सकेगा। इसलिये इस समय निर्धारण का यह मतलब नहीं है कि क्लोजर का प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता, लेकिन निर्णय देते समय इस बात पर विचार कर लिया जायगा कि काफी भाषण हुये हैं या नहीं। अगर काफी बहस किसी संशोधन पर हो चुकी हो तो क्लोजर की मंजूरी अध्यक्ष देंगे अन्यथा नहीं देंगे।

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी का नाम पुकारा।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप खड़े ही नहीं हुये थे। इसलिये मुझे उनका नाम लेना पड़ा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया है इसलिये अब मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोधन पेश किया है उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह मुझे स्वीकार है। नारायणदत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया था उसका जवाब अवधेशप्रताप सिंह जी ने दे दिया कि 'उपयुक्त' गोलमाल शब्द है और उसके स्थान पर 'प्रमुख' शब्द ठीक है। इसलिये चतुर्वेदी जी के संशोधन में जो संशोधन तिवारी जी ने पेश किया था वह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी संशोधन उस संशोधन में पेश किये गये। श्री राजनारायण जी ने जो धारा ३ पास हो चुकी है उसके विरोध में संशोधन दिया था।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने इस पर व्यवस्था दे दी तो उनका फिर कहना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--वे उसका बहस में जिक्र कर सकते हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--मैं यह कह रहा था कि धारा ३ जब स्वीकृत हो चुकी थी और तीन दिन का समय निश्चित कर दिया गया था तो अगला संशोधन उसके विपरीत नहीं आ सकता । श्री पांडे जी ने भी एक संशोधन इस आशय का पेश किया कि ढोंढी से सूचना दी जाय । आमतौर से जो आवास लिये जायेंगे वे शहर में होंगे जिनके लिये ढोंढी पिटवाने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये अन्त में मैं शम्भूनाथ जी का संशोधन स्वीकार करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यह कहा गया कि "उपयुक्त" शब्द "प्रमुख" शब्द के मुकाबले में उपयुक्त नहीं है । मैं आपका ध्यान लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं उसमें लिखा हुआ है कि--

"the Collector shall then cause public notice to be given at convenient places on or near the land to be taken"

इसमें "कनवीनियंट प्लेस" शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अनुवाद "उपयुक्त स्थान" होता है । अगर "प्रमुख स्थान" होता तो "प्रामीनेंट प्लेस" होता ।

श्री अध्यक्ष--लेकिन उसका कारण यह है कि बहुत से स्थानों के संबंध में "कनवीनियेंट स्थानों" शब्द का उपयोग हो सकता है परन्तु एक ही मकान में जब प्रश्न हो तो प्रामीनेंट जगह कहने से उचित प्रकाशन होता है । इसलिये प्रामीनेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ।

(कुछ ठहर कर)

इसमें कई संशोधन आ गये हैं इसलिये सब को एक-एक करके लेता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन यह है कि "भांडारिक आवास के प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर, डुग्गी पिटवा कर तथा" ये शब्द रख दिये जायं । यानी शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी के संशोधन में "डुग्गी पिटवाकर" शब्द और जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ५ के शब्द "तो" तथा शब्द "सरकारी" के बीच में शब्द "भांडार आवास के प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवाकर तथा" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--इसमें इतना और कह देना चाहता हूं कि "उपयुक्त" के बारे में मैं अलग से राय ले लेता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं श्री राजनारायणजी का प्रतिबन्ध रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे स्वामी अथवा अध्यासी के भांडार पर जो अविलम्ब प्राप्य न हो, १५ दिन तक नोटिस चिपका रहने के बाद ही कब्जा किया जायगा ।"

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ के अन्त में यह प्रतिबन्ध, जो मैंने पढ़ा, जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

भांडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार।

५—यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिगृहीत कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त इष्टकर प्रतीत हो।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन कल की तरह से है। मैं चाहता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिया जाय।

श्री बलदेवसिंह आर्य—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।

६—कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं।

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द "में" तथा शब्द "यह" के बीच में शब्द "सूचना देकर" रख दिये जायं इसके बाद यह खंड ६ इस प्रकार हो जायगा। "कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में सूचना देकर यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, अथवा नहीं।"

मैं अपने इस सूक्ष्म संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि यदि जिलाधीश या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी आवास को यह देखने के लिये कि वह खाद्यान्नों के लिये उपयुक्त है या नहीं तो वह उस व्यक्ति को उचित सूचना देकर उसके घर में जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक अपने प्रांत के बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिये बनाया जा रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने माना है और यह बड़ा शुभकार्य है क्योंकि इस विधेयक के द्वारा हम मूल्य संरक्षण की भावना रखते हुये देश में अन्न के भावों को रोकना चाहते हैं। कौन ऐसा इस प्रांत में होगा जो यह चाहता होगा कि यहां के लोगों का नुकसान हो और अनाजों के भाव इस तरह से गिरें जिससे बहुसंख्यक लोगों को घाटा हो ? मैं चाहता हूं कि इसमें सबकी सद्प्रेरणा रहेगी यदि एसे घर के मालिक से मेहरबानी करके पूछ लिया जाय और उसको सूचना दे करके उसके घर में जाया जाय। इससे सरकार के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो दफा ३९५ और ३०२ के मुलजिमों को यह सुविधा है कि उनके घरों की सर्च के निमित्त अगर कोई अधिकारी जाय तो कुछ व्यक्तियों को साथ ले कर अनिवार्यतः जाय और सूचना देकर उनके घर में घुसे और कायदा तो यहां तक है कि अपनी तलाशी देकर तब उनके घर में घुसे जब क्रिमिनल केसेज में यह सुविधा दी जाती है तब यह तो बड़ी सद्भावना की बात है, यह बड़ा शुभकार्य है इसमें यदि आप किसी के घर में जाते हैं तो सूचना दे कर जायं। इस पर दलील ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आज वह इस मूड में हैं कि इसको स्वीकार कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं श्री रामेश्वरलाल के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि सरकार को इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह बात क्रिमिनल मामलात में भी मालिक या अध्यासी को है कि वह छिपकर भाग न जाय तब भी ऐसी सुविधा है लेकिन इसमें जब कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत सरकार को नहीं है तब यह क्यों न माना जाय? श्रीमन्, यह साधारण सभ्यता की बात है। मकान तो किसी का उठा नहीं जा रहा है केवल उसको सूचना दी जाय कि कोई अधिकारी या कलेक्टर उस मकान को इस नियत से देखता है कि वह भांडार के काम के लिये उपयुक्त है या नहीं तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसी मांग भी हमारे माननीय मंत्री महोदय मानने से घबड़ाते हैं तो मैं क्या कहूं! इसमें कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई भी नहीं है। इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री रतनलाल जैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी संशोधन दिया गया है मैं उसको आवश्यक नहीं समझता। कारण यह है कि जब कलेक्टर या उनके आदेश से कोई भी अधिकारी मकान को या आवास को देखने जायगा तो यह तो साधारण सी बात है कि वह सूचना देगा, उनकी बुद्धि पर हमको यकीन करना चाहिये। मान लिया कि उसके मकान में ताला लगा हुआ है तो लाजमी कहेगा कि ताला खोल दो और ताला खुला हुआ है और कोई उसमें रहता है तो साधारण बात है वह कहेगा कि हम मकान देखना चाहते हैं। मान लीजिये उसमें किसी की फेमली रहती है तो सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार कहा जायगा कि वहां से हट जाय। लिहाजा यह शब्द बिल्कुल अनावश्यक है। हमको कलेक्टर की बुद्धि पर एतबार करना चाहिये जिसको कि हम सारे अधिकार देने जा रहे हैं कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो फिजूल, व्यर्थ और आक्षेप करने वाला हो। ऐसी बात वह कभी नहीं करना चाहेगा। हमें उसकी बुद्धि और डिस्क्रीशन पर यकीन करना चाहिये और सूचना देने का जो शब्द है उसकी यहां आवश्यकता नहीं है। इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो इस संशोधन को न मानने के खिलाफ आक्षेप या प्रश्न उठाये गये हैं उसमें मेरा खयाल यह है कि कुछ गलतफहमी है। एक बात तो यह समझ ही लेनी चाहिये कि इसमें मकान लेने का कोई सवाल ही नहीं है। यह अधिनियम जो बन रहा है इसमें केवल गोदाम या खत्ती लेने का सवाल है। गोदाम या खत्ती ऐसी चीज होती है जिसमें लोग रहते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कलेक्टर यह देखने जायगा कि यह खत्ती या गोदाम खाली है या नहीं है और आया इसे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। मानलिया एक रोज कलेक्टर शहर में निकला कि देखें कितने गोदाम खाली हैं, कितनों की आवश्यकता है और कितने लिये जा सकते हैं। अब कलेक्टर जायगा तो खत्ती वाले या गोदाम वाले को सूचना दे देगा। उसका ताला बन्द है तो उसे खुलवायेगा। तो यह तो इतनी सूचना हो जायगी। लेकिन अगर कानून में यह रखते हैं कि सूचना देना आवश्यक है तो यह रखना होगा कि किस प्रकार रक्खी जायगी और कै रोज पूर्व सूचना दी जाय। सूचना के लिये फिर चाहे १ घंटा रक्खे, या १ दिन रक्खे लेकिन कुछ रखना अवश्य पड़ेगा। अगर रखते हैं और वह सूचना नहीं लेता है और कहीं चला जाता है तो बिना सूचना के कलेक्टर उसके अन्दर जा कर देख नहीं सकता है तो यह एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत देर होगी। फिर कलेक्टर एक बहुत व्यस्त अधिकारी है। वह एक रोज गया १०, १२ खत्तियां देख आया लेकिन अगर सूचना देना आवश्यक होगा तो इसमें देर लगेगी। मैं समझता था कि कोई माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डालेंगे कि अगर सूचना नहीं दी जाती है तो आखिर इससे क्या नुक्सान होगा? अगर खत्ती को देखने से पूर्व जिलाधीश पूर्व सूचना नहीं देता है तो इससे मकान मालिक को क्या नुक्सान पहुंचता है इसपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। कलेक्टर जिस वक्त जाता है देख लेता है और उपयुक्त समझता है तो ले लेता है और नहीं उपयुक्त समझता है तो नहीं लेता है। सूचना देने के कारण दिक्कतें हो सकती हैं इसी एक कारण से यह संशोधन माना नहीं जा सकता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आखिर क्या ऐसी कठिनाई है और क्या शिकायत हो सकती है जिस पर किसी सदस्य ने कोई रोशनी नहीं डाली। मैं उनकी सेवा में वही बातें रखना चाहता हूं जो छठा खंड है वह स्पष्ट है और इस प्रकार है "कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं।"

यदि इसमें केवल निरीक्षण शब्द रहता और प्रवेश न रहता तो मैं समझता हूं कि पूर्व सूचना देने की बात रामेश्वर लाल जी की न मानी जाती तो कोई हर्ज नहीं था।

श्री हरगोविन्द सिंह—बिना प्रवेश के भी निरीक्षण हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—बिना प्रवेश के भी निरीक्षण हो सकता है। बाहर से देख लिया। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। लेकिन इसमें तो प्रवेश भी है और प्रवेश के मानी यह हुए कि ताला भी तोड़ा जा सकता है। एक आदमी अपने घर के ऊपर ताला लगाये हुए है, बन्द किये हुए है, उसमें कुछ ऐसा सामान भी है जो वह हर आदमी को दिखाना नहीं चाहता। कोई अफसर चाहता है तो इस प्राविजन के मुताबिक उस अफसर को कोई रोक नहीं है कि वह ताला न तोड़े। वह ताले को तोड़ सकता है और ताला तोड़ कर उसके घर की गोपनीयता को नहीं रहने दे सकता है। गोपनीयता की आवश्यकता होती है और मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति को अपने घर को गोपनीय रखने में रोका नहीं जा सकता। इसमें बड़ा स्पष्ट है कि कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि इसका तो मतलब होता है भूगृहादि में वह प्रवेश कर सकता है और अगर प्रवेश कर सकता है तो उसकी गोपनीयता को खतम कर सकता है। इसलिये माननीय रामेश्वरलाल जी का इतना कहना है कि वह सूचना दे दें और अगर वह गोपनीयता रखना चाहता है तो उसकी गोपनीयता को कायम रखने के सिलसिले में इजाजत ले सकता है कि हमें दो एक घंटे का वक्त दे दिया जाय। हमने कुछ ऐसे सामान भी रखे हैं जो हम आपको और दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते। मैं यह नहीं चाहता हूं कि अगर कलेक्टर कोई ऐसी चीज देखना ही चाहता है, अपराध की चीजें छिपा रखी हों उन्हें वह भले ही देख ले, लेकिन ऐसी चीज नहीं है तो उसकी गोपनीयता भी आवश्यक है। एक तरफ तो मेरी दिक्कत यह है दूसरी तरफ दिक्कत सरकार की है। सरकार की सूचना देने की क्या प्रक्रिया होगी इसको नियमों में स्पष्ट कर सकती है जिसमें कोई बहुत ज्यादा देर तक टालने वाली बात न आये और नियमों में इसको ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाय कि कितनी देर की सूचना पर्याप्त समझी जायगी और सूचना लेने में अगर कोई घपला या ऐसी चीज करता है जिससे वह बचना चाहता है तो उसमें नियमों में स्पष्ट कर दिया जाय। फिर इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह कठिनाई बच जाती है और दूसरी तरफ सरकार को स्पष्ट काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस रोशनी में भी माननीय मंत्री जी विचार करें।

*श्री अब्दुलमुईज खां—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर से सुनने की कोशिश की और खास तौर से इस वजह से कि माननीय मंत्री जी के उस तरफ ध्यान दिलाने पर ध्यान हुआ कि वह बात जो छूट गयी है वही कही जाय। मैं जो समझ सका उन्होंने दो बातें कहने की कोशिश की हैं। एक तो यह कि इस विधेयक का जो खंड है उसमें निरीक्षण के साथ-साथ प्रवेश करने का जो शब्द है उससे उनको यह डर मालूम होता है कि कहीं अगर बिला किसी सूचना के दिये हुए प्रवेश करने का अधिकार कलेक्टर को मिल जाता है तो किसी के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घर ही में न घुस जायं। तो यह बात इस सदन में कई संशोधनों के सिलसिले में कही जा चुकी है कि स्टोरेज के लिए ऐसी ही बिल्डिंग्ज जो साधारणतया आमतौर पर स्टोरेज के काम में इस्तेमाल होती हैं वही ली जा सकती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में किसी के मकान में प्रवेश करने पर कौन आपत्ति हो सकती है? लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि निरीक्षण ही से काम चल जायगा तो मैं यह कहूंगा कि उसका जो असली मकसद है उसके बिल्कुल विरुद्ध निरीक्षण होगा। बाहर से आपने देख लिया लेकिन स्टोरेज के लिए तो अन्दर की चीज देखनी है, मकान में कितनी जगह है, सीलन है या नहीं, वेंटिलेशन का क्या हाल है, छत कैसी है, यह सब बातें देखने की हैं जो बिला प्रवेश किये हुए नहीं हो सकतीं। बाहर से देखने के बाद वापस आने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात जो आपने कही वह सीक्रेसी की बात है। वह भी उसी आधार पर है कि अगर कोई किसी के मकान के अन्दर चला जाय बिला सूचना दिये तो यह बात सीक्रेसी के खिलाफ पड़ती है, गोपनीयता के खिलाफ पड़ती है। लेकिन अगर माननीय सदस्य ज्यादा सोचें तो इस बात से सहमत होंगे कि स्टोर्स में कोई ज्यादा सीक्रेसी की बात नहीं होती और अगर किसी के स्टोरेज में कोई सीक्रेसी की बात है तो कलेक्टर को पूरा अधिकार भी होना चाहिये कि क्या ऐसी सीक्रेट चीज उस स्टोर के अन्दर है इसको वह देखे और पिछले वर्षों में जो सरकार के सामने कठिनाइयां आती रही हैं उनको देखते हुए नेता विरोधी दल को इसको मान लेना चाहिये कि ऐसे मौके पर सीक्रेसी का बिल्कुल ही खयाल नहीं करना चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इसके माने घर कभी नहीं लिये जायंगे।

श्री अब्दुल मुईज खां—ऐसा नहीं है कि किसी का घर लिया जायगा। साधारणतया जो स्टोरेज के काम में प्रयुक्त होता है उसको अगर आप घर कहें तो बात दूसरी है नहीं तो वह इस डेफिनीशन में नहीं आता है।

श्री शिवनारायण—जो अमेंडमेंट उधर से आया है मैं उसका विरोध करता हूं। कोई कलेक्टर भी मोटी बुद्धि वाला आदमी नहीं है। इस संशोधन के माने यह है कि मुंह से चलो, आंख से बोलो और कान से देखो, तो इतनी मोटी बुद्धि किसी कलेक्टर के पास नहीं है और अगर मोटी सी बात देखते कि जिसका स्टोर खाली होगा वह सूचना मिलने पर ही २५ बोरा गेहूं उसमें खरीद कर रखवा देगा और अगर कलेक्टर ने कहा कि परसों हम आयेंगे.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में इस अमेंडमेंट का विरोध करते हुए यह कह रहा था कि कुछ लोगों का विचार है कि नोटिस शब्द जो दिया है, सरकार नोटिस दे, सूचना का अर्थ यह है कि कानूनी तौर पर गवर्नमेंट नोटिस देगी उसमें कम से कम एक महीना लग जायगा, १५ दिन लग जायेंगे, कोई लिमिट नहीं है और गवर्नमेंट बाउन्ड होगी, कलेक्टर बाउन्ड होगा कि उसका पालन करे और वह आदमी जिसके नाम हम नोटिस इजरा करेंगे तो वह आदमी भाग भी सकता है। उसके लिये गवर्नमेंट को पता लगाना पड़ेगा और यह प्रश्न इमरजेंसी का है। आज हमारे पास खत्तियों की कमी है। तो १५ दिन लग जायेंगे और उसके बाद हमने दूसरे खंड में मंजूर किया है। कुछ लोगों को शिकायत है कि मकान सरकार ले लेगी। दूसरे में दिया हुआ है कि भांडारिक आवास (storage accommodation) का तात्पर्य

[श्री शिवनारायण]

है भांडार के निमित्त प्रयुक्त या उपयुक्त कोई भवन, और इसके अन्तर्गत खत्तियां भी हैं, उनको सरकार लेगी। जहां खत्ती होगी वही लेगी यह नहीं कि किसी के मकान, बंगले को खाली करा लेगी सरकार। सिर्फ जिसमें खत्ती होगी वह लेगी। लेकिन हमारे मित्र उधर से यह चाहते हैं, जैसा मैंने उस वक्त कहा था कि इसमें लिख दिया जाय कि आंख से देखें, पैर से चलें, मुंह से खायें और अक्ल से काम लें। हमारे कोई मजिस्ट्रेट जिनके जिम्मे यह काम है वह कामनसेंस रखते हैं, यह तो कामनसेंस की बात है, कानून बनता है ढंग से यह नहीं कि हमारी दाढ़ी की आड़ में कोई छुप जाय और घर में न दिखाई दे। तो मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं और खास कर श्री अवधेशप्रताप सिंह जी से कि वह चीज कही जाय। यहां पर, और आपको (श्री अवधेश प्रताप सिंह) घबराहट इसलिये है कि आपके पास मकानात हैं। लेकिन आपके मकान सरकार नहीं लेगी। अगर आपने किसी मकान में स्टोरेज का काम किया होगा सन् १९४७ से और जिनका खाली है गवर्नमेंट उसी को लेगी। मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऐश्योरेंस दिलाता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र जिन्होंने यह अमेंडमेंट दिया है उनको वापस लेना चाहिये, उससे कोई बाधा नहीं पड़ती है और सरकार का नुकसान होगा उनके अमेंडमेंट से और वक्त जरूरत पर कोई स्टोरेज मिल नहीं सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वे इसे वापस कर लें।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रामेश्वर लाल जी ने पेश किया है मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। रामेश्वर लाल जी ने काफी सफाई कर दी थी मगर खाद्य मंत्री की अनुपस्थिति में इनकी वंशी की रागिनी बन कर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रेमिसेज का एक अपना और ही अर्थ कर दिया। अगर सही माने में प्रेमिसेज का वही अर्थ हो जो कि शिक्षा मंत्री जी मानते हैं तो मुझे इसमें तनिक शक नहीं है कि माननीय खाद्य मंत्री जी और हमारे बुजुर्ग हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम जो बैठे हुए हैं वे शिक्षा मंत्री जी से इस बात में मेल नहीं करेंगे कि प्रेमिसेज का अर्थ वही होता है जिसको कि खाद्यान्न भांडार कहते हैं। कोई भी चाहे वह लीगल टर्म हो, चाहे वह आक्सफोर्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी देखें, सब में उनको मिलेगा कि प्रेमिसेज का मतलब भी बिल्डिंग से होता है और उसमें जो ऐडजंक्ट्स (विशेषण) होते हैं सब उस प्रेमिसेज में आते हैं। तो अपने मन से अर्थ करके उसे अनर्थ के रूप में परिवर्तित करना और अनावश्यक तर्क इस सदन में प्रस्तुत करना और साधु संशोधन का विरोध करना किसी भी मंत्री या सदन के सम्मानित सदस्य के लिये शोभा की बात नहीं है।

श्रीमन्, विधेयक की धारा आपके सामने है। छठां क्लाज आप देखें, इसमें लिखा हुआ है—"कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (Premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, अथवा नहीं।" यदि इसी विधेयक की पिछली धाराओं को पढ़ा जाय, श्रीमन्, तो उसमें यह बात साफ दी गई है जैसे तीसरा क्लाज आप देख लें —"यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भाण्डार में रखने के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम होगी) जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय :"

तो, श्रीमन्, यह भांडारिक आवास को भी सरकार ने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो उनका भांडारिक आवास जो कि वहां पर मिल जाता है और एक उनका भांडारिक आवास जो कि इजिली रेडिली ट्रेसेबुल नहीं है यानी जो अविलम्ब प्राप्त

नहीं है। तो उनका भांडारिक आवास जो अविलम्ब प्राप्त नहीं है, एक बात हुई और उनका भांडारिक आवास जो कि तत्काल प्राप्त हो जाता है, दूसरी बात हुई। फिर यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी या सरकारी पक्ष के वे लोग जो कि प्रेमिसेज का अर्थ केवल खाद्य भांडार समझते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर खाद्य-भांडार शब्द जब कि दूसरे खंडों में प्रयुक्त हुआ है तो उसी शब्द को यहां पर क्यों नहीं रख दिया जाता। फिर प्रेमिसेज क्यों रखा जाता है, भूगृहादि क्यों रखा जाता है? इसमें अब कोई दो रायें नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों शब्दों में बड़ा भेद है। खाद्य भांडार में प्रयुक्त होने वाले आवास का दूसरा अर्थ होता है और भूगृहादि का दूसरा अर्थ होता है, जिसमें उन स्थानों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें लोग निवास करते हैं। श्रीमन्, कई वक्ता केवल इसी तर्क को जो कि इस विधेयक की किसी धारा में, किसी लाइन में नहीं है, लेकर बोलते रहे कि माननीय गेंदासिंह जी को या माननीय रामेश्वर लाल जी को या और जो इस संशोधन के पक्ष में बोल रहे हैं, क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी अहाते में प्रवेश करने में या निरीक्षण करने में जिसमें कि गोदाम हो, माल रखा जाता हो। माल का भी बड़ा व्यापक अर्थ होता है और वह भी, श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं वर्ना मैं उनसे निवेदन करता कि सौन्दर्य के पदार्थ अक्सर गोप्य रखे जाते हैं, मगर मैं उस तर्क पर नहीं जाना चाहता। मैं उस तर्क को यदि इस सदन में शिक्षा मंत्री जी विद्यमान होते तो और मजबूती के साथ और व्यापकता के साथ उपस्थित करता। इस समय तो मैं जो इसका लीगल अर्थ है, जो इसकी कानूनी परिभाषा है, बताना चाहूंगा। हमारे मित्र मुईज खां भी सामने बैठे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कराहट भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि प्रेमिसेज के क्या अर्थ होते हैं और क्या किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी शब्दकोष में, किसी भी कानून की भाषा में प्रेमिसेज का अर्थ माना गया है केवल गोदाम या वह भांडार, वा रहने का स्थान जिसमें कि गल्ला रहता हो।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे कि प्रेमिसेज एक व्यापक टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस व्यापक शब्द से संकुचित अर्थ निकालने की प्रणाली तो जो माननीय मंत्री जी ने सर्वदा के लिए कायम कर रखी है उनसे मैं निवेदन करूंगा और ट्रेजरी बेंच के और सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शब्दों के साथ खेल न किया करें। शब्दों के साथ खेल करके बहुत अनर्थ किया जा चुका है और आज तक होता रहा है। ऐसे शब्द का प्रयोग वहां पर न किया जाय जो कई अर्थों में प्रयुक्त होता हो और अगर हम दिल व दिमाग को साफ करके यहां पर कहें कि भूगृहादि में रहने का स्थान आता है या नहीं तो सफाई के साथ माननीय मंत्री जी को इस शब्द को परिवर्तित कर देना चाहिये। जैसी कि खंड ३ की शब्दावली है, "भांडारिक आवास" खाद्यान्नों को भांडार में रखने के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। खंड ४ में है, "अधिग्रहण आज्ञा की तामील, भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी अविलम्ब प्राप्त न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त हो, तो सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा की जायगी"। जो शब्द पहले मिल चुके हैं, वही प्रयोग में आने चाहिये। मुझे संसद सदन में इस बात को फिर कहना पड़ रहा है कि बड़े-बड़े सम्मानित मित्र ट्रेजरी बेञ्चेज में जो आज बैठे हुए हैं वह शब्द के साथ खेला करते हैं और शब्द की परिधि को लांघ कर अपनी बुद्धि के साथ भी खेल करने लगते हैं और एक साधारण सी लोकोक्ति के अनुसार "सूझि जुवारिहि आपन दाऊं", जुवारी को अपना दांव ही सूझता है, जो सरकार की इच्छा हो, सरकार का मकसद हो उसको कानून के रूप में मूर्तिमान करना चाहिये चाहे जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाय। मैं समझता हूं कि वह सरकार के लिये अच्छा नहीं है और न सदन के उन सदस्यों के लिए है जो सरकार के शब्द जाल में अपने को बौद्धिक परतंत्रता में ले जाने के आदी हो चुके हैं। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आपके द्वारा माननीय मंत्री से और

[श्री राजनारायण]

माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अब इतनी सफाई हो चुकी है तो इसके बाद वह सरकार पर इस सदन में अपनी आवाज बुलन्द करके इस बात का आग्रह करें कि वह भूगृहादि को बदल कर उसकी जगह "भांडारिक आवास" रख दें। अगर ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय तो शिक्षा मंत्री और उनसे मेल खाने वाले जो लोग हों वह उस अर्थ को लेकर कह सकते हैं कि इस मकान में प्रवेश करने में क्या आपत्ति है जिसमें गल्ला भरा हुआ है, जिसमें खाद्य की सामग्रियां भरी हुई हैं। उसमें कोई ऐसी चीज छिपाने की नहीं है, गोपनीय चीज नहीं है जिसमें कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी चला जायगा तो गोपनीयता भंग हो जायगी या किसी की सुन्दरता पर अनियंत्रित या अवांछनीय ढंग पर कुठाराघात हो जायगा, अतिक्रमण हो जायगा और सरकारी कर्मचारियों की किसी न किसी तरह से कुदृष्टि पड़ जायगी। खाद्य सामग्री रखी हुई है, कोई सरकारी कर्मचारी वहां ताला तोड़ कर चला जायगा तो क्या सरकारी कर्मचारी उसको बिगाड़ देगा? यह माननीय शिक्षा मंत्री तभी कह सकते हैं जब कि इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाय। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब मुस्करा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह हमारे तर्क से सहमत हैं और वह इसकी गम्भीरता और गुरुता से परिचित हो गये हैं और शायद वह भूगृहादि को बदल कर खाद्य भांडार के रूप में रखने की कृपा करेंगे। तब शायद रामेश्वरलाल जी भी अपने संशोधन पर विचार करके पुनः सोच सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज रखी हुई है जिस पर माननीय गेंदासिंह जी को आपत्ति है? माननीय गेंदासिंह जी को आपत्ति तो तब मालूम हुई है जब भूगृहादि और खाद्य भांडार के लिए जो आवास है उसमें अन्तर नहीं किया, वरना माननीय गेंदा सिंह जी को कोई आपत्ति नहीं रही होगी। कभी-कभी जो लोग नाजायज काम करने के आदी होते हैं, अपने खाद्य भांडार के आवासों में भी कुछ नाजायज सामग्रियों को वहां पर छिपा दिया करते हैं, उनके लिये दिक्कत हो सकती है। तो हम इस सदन में गैर-सामाजिक कार्यों की हिफ़ाजत के लिये नहीं हैं हम तो इस सदन में जो जनहित के कार्य हैं उनकी रक्षा के लिये हैं। तो यदि कोई उस दृष्टिकोण को सामने रख कर उस भवन में प्रवेश करने न देना चाहता हो तो हम उसके साथ नहीं हैं।

मैं अपनी ओर से यह सफाई दे देना चाहता हूं मगर हां, उसी के साथ-साथ मैं इस बात की भी सफाई दे देना चाहता हूं कि किसी के निवास स्थान के अन्दर बिना समुचित सूचना दिये हुये नहीं जाना चाहिये चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या उसके द्वारा प्रयुक्त कोई अधिकारी हो। फिर, श्रीमन्, आपको ज्यादा जानकारी हमसे भी होगी कि यहां पर जो कानून की भाषा होती है इस सदन के सम्मानित सदस्य उस भाषा का जो अर्थ करते हैं यह कोर्ट्स नहीं लगाया करती हैं। जो कचहरियां, वकील और दूसरी अदालतें हैं वे कानूनी भाषा का जो अर्थ कानून के रूप में होता है उसी को लिया करते हैं। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी कहें या सरकारी पक्ष की ओर से यह दलील दी जाय कि हम भूगृहादि रखेंगे मगर हम साफ कह रहे हैं कि किसी के निवास स्थान पर कब्जा नहीं होगा यह बात सदन को नहीं माननी चाहिये क्योंकि यहां पर उनका यह दिया हुआ आश्वासन बिल्कुल बेकार सा है। श्रीमन्, मैं स्वतः भुक्तभोगी हूं। इसी सदन में जब माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और माननीय चरण सिंह जी मंत्री थे उस समय अदलपुरा मिर्जापुर के बारे में एक क्वेश्चन (प्रश्न) का जवाब बताया गया। कोर्ट्स कहती हैं, मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि वहां के आश्वासन देने से हमारे ऊपर क्या बाइंडिंग (बन्धन) है। हम तो जो कानून के दौरान में हमारे सामने बात आयेगी उसको देखेंगे चाहे असेम्बली में सरकार के मंत्री लोग आपको जो भी आश्वासन देते

रहते हों। कई बार यहां आश्वासन दिये जा चुके हैं। अभी हाई कोर्ट ने स्पेशल पावर्स ऐक्ट को नाजायज करार दे दिया लेकिन आज तक उस नाजायज कानून के जरिये से जो जुर्माना वसूल किया गया था वापस नहीं किया गया। आज बेदखली का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—इसी पर आ रहा हूं। तो मैं उदाहरण के लिये माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उसमें भी एक 'अक्षम' शब्द है। लोग कहते थे कि अक्षम के माने क्या होते हैं, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई अंगहीन हो। मगर अब तो डाक्टर का सार्टिफिकेट देकर कि ४० वर्ष की अवस्था है बेदखली हो रही है और कचेहरी की तरफ से मैजिस्ट्रेट यह फैसला दे रहे हैं कि जब हमको सिविल सर्जन कह रहा है कि यह ४० वर्ष का व्यक्ति अक्षम है, इसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी खेती की निगरानी कर सके इसलिये बेदखल कर रहे हैं। तो अक्षम के अन्दर बेदखल करने की गुंजायश है। तो इस तरह से आज कानून की जो मंशा यहां पर व्यक्त की जाती है उस मंशा के विरुद्ध आज सारे प्रान्त में हाहाकार मचा हुआ है। मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह बड़ा व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में आप दे रहे हैं और उस अधिकार को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस तरह से कदम उठायेगा उसमें बहुत अनर्थ भी हो सकता है। फिर किसी कांग्रेसी मंत्री या एम० एल० ए० का किसी व्यक्ति विशेष से राग द्वेष हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके इशारे पर नाच सकता है, उसके निवास स्थान को अपने कब्जे में कर सकता है। भू-गृहादि के अन्दर रहने के मकान भी आते हैं। आज तक कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं बताई जा सकती जिसमें भूगृहादि के अन्दर मकान न आते हों। श्रीमन्, मैं इसलिये कहूंगा कि अगर सरकार का दिमाग साफ है तो भूगृहादि शब्द को हटा कर उसकी जगह पर भांडार आवास या खाद्यान्न की जो जगह हैं उनके निरीक्षण या प्रवेश की बात रखें तब तो शिक्षा मंत्री जी के उठाये हुये तर्क या सरकारी पक्ष की ओर से बोलने वाले लोगों के तर्क में कुछ बल है। लेकिन भूगृहादि, इतने बड़े व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देने के लिये एक मिनट को भी हम अपने को तैयार नहीं पाते हैं।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री राजनारायण जी ने बहुत जोरदार शब्दों में इस बात की शिकायत की कि ट्रेजरी बेंच के लोग शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं और बुद्धि के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ। वह अपनी शिकायत दूसरे के सर पर थोपने की अनुचित चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने अगर उसे गम्भीरतापूर्वक पढ़ा होता और उसे समझने की कोशिश की होती तो यह प्रेमिसेज का अंग्रेजी का शब्द जो ब्रैकिट में दे दिया गया है, उसका तात्पर्य किस तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि राजनारायण जी को इतना बुद्धि के संबंध में व्यायाम करने का कोई कारण नहीं रह जाता। शायद राजनारायण जी को वह स्थान जिन में अनाज रखा जाता है, ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है कि अनाज ऐसी जगह पर भी रखा जा सकता है जो किसी अहाते के अन्दर हो और जैसा कि उन्होंने कहा कि कोर्ट में बाल की खाल निकाली जाती है, अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इसी भावना से इसे देखें कि अगर इसमें प्रेमिसेज का जिक्र न हो तो ऐसी जगह भांडार हो सकता है जहां आस-पास अहाते हों और ऐसे स्थान हों जिनमें अन्न रखने की आवश्यकता समझी जा सकती है तो अगर इनको देखने के लिये कलेक्टर को अधिकार न हो या उनके द्वारा अधिकृत किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार न हो तो यह कार्य अधूरा ही रह जाता है। इस धारा में इतना ही संशोधन था कि सूचना देकर या बगैर सूचना दिये हुये जा सकते हैं। मैं समझता था कि यदि राजनारायण जी इस बात पर जोर देते कि सूचना देकर ही जाया जाय तब तक तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन इसके बाद आगे पीछे उनकी उलाहना देने की बात ज्यादा मौजूं नहीं मालूम पड़ रही थी।

[श्री काली चरण टण्डन]

मैं फिर रामेश्वरलाल जी से अनुरोध करूंगा कि अगर प्रेमिसेज शब्द न रखा जाय तो वह अधिकारी जिनके जरिये कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उन स्थानों में जो अन्न भांडार के लिये उपयुक्त हैं या नहीं, उसको देखने में बाधा पड़ सकती है और हमारे व्यापारीगण और बड़े बड़े मालिक मकान इन सब चीजों का बाल की खाल निकालकर बेजा इस्तेमाल करना अपने हित के लिये आवश्यक समझा करते हैं। यह शब्दावली जहां पर रखी गई है वह ट्रेजरी बेंच के मेम्बरों की कोशिश से नहीं बल्कि कानून के बनाने वाले विशेषज्ञों की राय से और अनुभव के बाद रखी गयी है। मुझे विश्वास है कि इन शब्दों को जो विधेयक में प्रयुक्त किये जा रहे हैं, उन्हें रामेश्वर लाल जी ठीक मान कर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं साथी श्री रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह इतना सीधासाधा संशोधन है कि इसके ऊपर उधर के बैठने वाले ५ माननीय सदस्यों ने विरोध प्रगट किया है और विरोध इसलिये मालूम होता है कि जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है उन्होंने धारा ६ को पढ़ा नहीं है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि धारा ६ को पढ़ा जाय। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि "कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं" यही नहीं, मुईज साहब ने दलील दी उसको सुनकर मुझे हंसी आयी। उन्होंने कहा कि वही घर लिये जायंगे जिसको पहले इस्तेमाल किया गया हो। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी ऐसी दलील दी कि दूसरे घरों को अर्थात् जिसमें निवास किया जाता है नहीं लिया जा सकता है इसको सुनकर मैं चकित रह गया। क्या इस प्रदेश के शहर और कस्बों में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास वही केवल घर हो, जिसके पास वही केवल अपना घर हो जिसमें वह रहता हो? उसके लिये कोई दलील मुईज साहब ने पेश नहीं की और न उसके लिये कोई बचाव इस विधेयक में है और न शिक्षा मंत्री जी ने ही कोई दलील दी। जिस व्यक्ति के पास उसका निजी वही घर हो, निजी घर परिवार के लोगों के रहने के लिये हो उसके संबंध में इस विधेयक की यह धारा कोई हल नहीं देती है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति के पास अगर वही आवास गृह हो उसके लिये कोई संशोधन होना चाहिये। उसी की पूर्ति के लिये साथी रामेश्वरलाल जी का संशोधन है। उसके लिये काफी दलील दी गयी, श्री जैन साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, शिवनारायण जी के लिये तो कुछ कहना नहीं है वह तो विधेयक को पढ़ते नहीं हैं और सदन की बहस को सुनना ही पसन्द नहीं करते हैं। आंख मूंद कर जो सरकार की ओर से आता है उसको हूबहू समर्थन करते हैं और यही वह अपना फर्ज समझते हैं। श्रीमन्, यह कहा गया कि किसी की बुद्धि पर यकीन करना चाहिये। यह जैन साहब का तर्क है और श्री शिवनारायण जी का भी तर्क यही है। अगर सब की बुद्धि पर यकीन करते हैं तो इस विधेयक की क्या जरूरत है? हम मानते हैं कि सब ईमानदार हैं तो ऐसे राज्य की कल्पना महात्मा गांधी और दूसरे विचारक यूरोप के अनार्किस्ट राज्य की करते थे। अगर अनार्किस्ट राज्य हो जाय तो सब कानूनों एवं नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु अभी देश या प्रदेश की जनता इतनी समझदार या ईमानदार नहीं हुई है। अभी तो उसके लिये कानून होना चाहिये और जब कानून की आवश्यकता है तो हर एक कानून पर सदन में विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बड़ी उलझन की बात होगी कि अगर जिसके पास एक ही आवास गृह है उससे भांडार का काम लेते हैं। उसी में वह रहता है तो उसके लिये कोई धारा में पाबन्दी नहीं है। अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो एक स्पष्ट बात हो जाती है कि ऐसा घर जिसमें वह रहता हो अगर उसमें सामान रखता है या जो भी सामान रखा हो उसके लिये नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस कितने दिनों की हो और कैसे दिया जाय यह तो माननीय नियोजन मंत्री नियम में दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि नोटिस एक महीने का हो या ६ महीने का हो। नोटिस चाहिये। नोटिस

देने से कोई काम भी ज्यादा नहीं बढ़ जायगा। हां, एक बात जरूर हो सकती है कि आप अपने मन के अनुकूल जिस घर को लेना चाहते हैं उसमें कुछ रुकावट पड़ जाय। मेरा ख्याल यह है कि इस कानून से यह मतलब नहीं है कि ऐसा घर ले लिया जाय बल्कि ऐसे घर लिये जायं जिसमें कोई आवास न करता हो। जब ऐसे घर लिये जायंगे तो फिर आपको नोटिस देने में हिचकिचाहट क्या है? तो क्या इसमें आपको परेशानी होती है। जब इसमें ईमानदारी की बात है और आप यह भी कबूल करते हैं कि आप ऐसे घर को नहीं लेंगे, ऐसी खत्ती को नहीं लेंगे जो भांडार के लायक न हो। लेकिन हमें शुबह होता है जब आप इस संशोधन पर एतराज करते हैं। अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया होता तब तो कोई बात नहीं थी।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेटस बहुत ईमानदार हैं। मैजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी कितने ईमानदार होते हैं, सदन में कल मैं इसको बता चुका हूं और ईमानदारी का प्रमाण-पत्र तो यही है कि सरकार उनकी कार्यकुशलता की बड़ाई करती है लेकिन सब लोग जानते हैं कि शहरों और कस्बों में मैजिस्ट्रेट लोग क्या करते हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि वे बहुत से कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद सरकार उनकी सिफारिश करती है और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में निकम्मी साबित हुई है और यह चीज लोकतंत्र के लिये घातक सिद्ध होगी। सरकार के लिये यह शोभा नहीं देता कि वह कायदे और कानून के उल्लंघन करने वाले मैजिस्ट्रेटों की तारीफ करे। मैं बहुत अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि एक बहुत समझदार हाकिम ने मुझसे कहा कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि इस देश की कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई जो इस सरकार का मुकाबला करे। यह सबसे पहली सरकार है जो मैजिस्ट्रेट और अपने अधिकारियों की तारीफ करती है। वह बड़ा उच्च अधिकारी है जब अधिकारी खुद उनकी तारीफ करते हैं तो बड़े असमंजस की बात है। श्रीमन् कानून इसलिए बनता है कि सब लोग उस रास्ते पर चलें लेकिन यहां तो ईमानदारी को ताक पर रख दिया जाता है इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तब तो लोगों को कुछ आसानी हो सकती है। जिन लोगों के पास एक ही घर है और खत्ती भी उसी में है तो उसके लिए इस विधेयक में कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इतना सीधा-साधा संशोधन जो रामेश्वर लाल जी ने दिया है उसको स्वीकार कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन पर विरोधी पक्ष के लोगों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। विधेयक में साफ़ तौर पर यह लिखा हुआ है कि .....

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या श्री रामेश्वर लाल जी को बोलने का अधिकार अब नहीं रहा?

श्री उपाध्यक्ष—उनको बोलने का अवसर मिलेगा, घबराइये नहीं।

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय विरोधी दल के माननीय सदस्यों का खयाल यह है कि जितने भी भांडारिक आवास होंगे वे बिना प्रेमीसेज के होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा बाड़ा है और उस में मालिक आबाद भी है और अगर उसके लिए उसमें यह शब्द रख दिये जाते हैं कि बिना सूचना के उचित नहीं होगा। तो जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उसमें सूचना देने का अभिप्राय यह हो जायगा कि जिसका वह आवास है वह उस चीज को अवौइड करेगा और सरकार जिस उद्देश्य से उस आवास को लेना चाहती है, उस में विलम्ब हो जायगा। तो ऐसी स्थिति में आपके संशोधन में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको सरकार ठीक नहीं समझती, क्योंकि जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर सरकार इस काम को करना

[श्रीबलदेव सिंह आर्य]

चाहती है आप के संशोधन से उसमें रुकावट आती है। रेजीडेंशियल हाउसेज के बारे में एक धारा पास की जा चुकी है और उसमें प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि अगर कोई रेजीडेंशियल हाउस हो तो उसको कलेक्टर वगैरह राज्य सरकार की अनुमति के अधिग्रहण नहीं कर सकता। जब यह हो गया तो यह सवाल अब यहां पैदा नहीं होता। इसलिये जो दलील माननीय राजनारायण जी ने तथा दूसरे सदस्यों ने दी है वह यहां उपयुक्त नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सूक्ष्म संशोधन पर बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने और जिन सदस्यों ने हमारे इस संशोधन पर पक्ष में अपने विचार प्रकट किए मैं उनको अपना धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। मैं अपने छोटे से संशोधन का महत्व इतना नहीं समझता था कि इतने बड़े-बड़े महारथी माननीय हरगोविन्द सिंह जी, शिक्षा मंत्री, विरोधीदल के नेता माननीय गेंदासिंह जी तथा माननीय राजनारायण जी उस पर भाषण करेंगे। इससे मैंने समझा कि इस संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण बात अवश्य है। इस संशोधन के विरुद्ध उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं वह मैं समझता हूं कि इस संशोधन से युक्तिसंगत नहीं है। इस छोटे से संशोधन पर जो कलेक्टर की न्यायप्रियता, कलेक्टर के बेईमान होने या ईमानदार होने की जो तमाम बातें कही गई हैं, उधर के लोगों द्वारा, उसको सुनने के बाद मैं समझता हूं कि वह केवल एक छींटा डाल दिया गया है यह सुनने के लिये कि अपोजीशन की तरफ़ से कोई विशेष बातें कही जायं उनके सम्बन्ध में वर्ना इस संशोधन से कलेक्टर की ईमानदारी या बेईमानी पर कोई भी प्रकाश डालने की कोई मन्शा हमारी नहीं थी। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, अब्दुल मुईज़ खां और शिवनारायण जी ने जो भाषण किए हैं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद इस बिल को माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि इसकी मंशा भांडार को लेने की है, घर को लेने की नहीं है। मैं आपका ध्यान खंड २ के उपखंड (ग) की तरफ़ ले जाना चाहता हूं जिसमें भांडारिक आवास की परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा है कि "भांडारिक आवास से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है।" तो जब इसमें है कि भवन और उसके साथ खत्ती भी है, तो मैं श्रीमन् आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह बिल को पढ़ने के बाद अपनी राय देते तो अच्छा होता। मैं इस संशोधन द्वारा कोई बड़ी चीज़ लाने को नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं समझता हूं कि यह आवश्यक है। मूल्य संरक्षण किए जायं और उस के लिये मकान लिए जायं, कलेक्टर को अधिकार हो, यह सब ठीक है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर अनाधिकार चेष्टा हो और कोई गैरकानूनी काम इस अधिकार द्वारा होता हो तो इस सदन को इस समय इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इस संशोधन के रखने की प्रेरणा क्यों हमें मिली। श्रीमन्, हम यह कहने को तैयार नहीं हैं कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वह सब के सब ईमानदार हैं या सब के सब बेईमान हैं। सरकार अपने सभी अहलकारों को एकदम ईमानदार समझ लें तब भी काम नहीं चलता और एक दम बेईमान समझ ले तब भी काम नहीं चलता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों की बेईमानी और ईमानदारी के प्रश्न पर अगर सारे प्रदेश की राय ली जाय तो यह स्पष्ट साबित होगा कि आज इस प्रान्त का बहुमत चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि जो ज्यादती होती है वह सरकारी अधिकारियों द्वारा ही होती है और उनके पास पहुंचने वाले लोगों द्वारा ही होती है। हम अपने अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई भी घर हो....

श्री रामनरेश शुक्ल—कोई नई बात कहिये। आप जवाब दे रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शुक्ल जी को घबड़ाहट है, जब अपोजीशन की तरफ से कटु बातें सुनने को मिलती हैं तो शुक्ल जी घबड़ा जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भांडारिक आवास के अन्दर आवास और खत्ती दोनों हैं और यदि उस घर में कोई रहता है और उसका यदि उपयोग भांडार के लिये किया जाता है, तो क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि उसे सूचना दी जाय कि घर में जाकर खत्ती के लिये जगह देखना है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी हमारे इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो आगे बहुत सा विवाद खड़ा होगा। मैंने तो श्रीमन्, इसमें 'सूचना देकर' शब्द रखा है और 'सूचित करके' रखते तो दूसरा अर्थ होता। सूचना देने का अर्थ, माननीय शिवनारायण जी ने नोटिस लगाया है और इससे कानूनी अड़चन हो जायगी, उनका यह विचार है। मैंने तो आर्डिनरी कोर्स में सूचना देने की बात कहता हूं कि सूचना देने के बाद उस मकान में घुसें न कि जबरदस्ती घुस जायं और ताला तोड़ दें, जिससे कानून का और दरवाजा खुल जाय। श्रीमन्, मुझे दुख है कि इस छोटे से संशोधन को मानने में आपत्ति है जब मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि इसको मान लेने से कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी।

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय रामेश्वर लाल जी को यह डर है कि अगर उनका संशोधन स्वीकार न किया गया, तो किसी के साथ ज्यादती हो सकती है। उनका यह भ्रम मैं सर्वथा गलत समझता हूं, क्योंकि इसमें पहले ही हम धारा ४ स्वीकृत कर चुके हैं। उस में नोटिस की बात कही गयी है कि भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपका दी जायगी तो उससे जो उस आवास का मालिक है उससे उस को सूचना मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि यह नया विधेयक नहीं है और सन् ४७ में पहली बार पारित हुआ था। उस समय से अब तक सात-आठ वर्ष होने को आये हैं, लेकिन माननीय रामेश्वर लाल जी ने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पेश किया कि इस धारा से किसी को कोई नुक्सान पहुंचा हो। तो वह कोई उदाहरण तो पेश नहीं कर सकते हैं। यहां पर खामखा के लिये एक ऐसी बात पैदा करना चाहते हैं, जिससे सरकार को या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस आवास को लेने में कोई दिक्कत पड़े। आप का यह भी कहना है कि किसी के मकान में बिना सूचना के घुस जायंगे तो मकान से मतलब अगर आप का खत्ती से है और उस भवन से है, जिसमें गल्ला रखा रहता है तो मैं समझता हूं कि यह ठीक है लेकिन अगर उसका कोई दूसरा अर्थ लगाते हैं तो हम उसको सही नहीं मानते। इसलिये मैं समझता हूं कि जो दलील माननीय रामेश्वर लाल जी ने दी है वह सही नहीं है। इसलिये मैं उनके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द "में" तथा शब्द "यह" के बीच में शब्द "सूचना देकर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७

विपक्ष में--७३।)

श्री उपाध्यक्ष—मुझे एक और संशोधन की सूचना मिली है। वह इस प्रकार है कि खंड ६ की पंक्ति ४ में "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्री" रख दिये जायं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--अब कोई संशोधन इसमें बाक़ी है ही नहीं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस क्लाज में नहीं हुआ है।

श्री बलदेवसिंह आर्य--मैं तो इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य क्या इसको पेश करते हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं पेश करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति ४ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद "एवं खाद्य सामग्री" बढ़ा दिया जाय। चूंकि यह और क्लाजों में हो चुका है और यहां पर नहीं रहेगा तो बड़ा असंगत-सा मालूम होता है, इसलिये मैं समझता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य--मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं जरा इनफारमेशन के लिये--अभी पांच मिनट पहले और आप के सेक्रेटरी ने, मैं समझता हूं कि लिखा भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, हां कहा या न कहा, उससे निश्चित किया जा सकता है। वह अपना भाषण दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अस्वीकार है।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं आपसे एक निवेदन के द्वारा जानना चाहता हूं सही बात। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण--आपके सेक्रेटरी ने नोट किया है कि "मैं स्वीकार करता हूं"।

श्री उपाध्यक्ष--मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि जब तक कोई संशोधन पेश न हो उसकी बाबत राय कैसे हो सकती है ? इसलिये माननीय सदस्य को मौक़ा दिया कि वह पेश करें। उन्होंने पेश किया और माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री बलदेवसिंह आर्य--कभी स्वीकार नहीं किया, उसको पहले।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह जो आपके पास संशोधन बाद में गया उसकी कापी यद्यपि हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उसकी मंशा समझता हूं। क्योंकि यह पहले भी आ चुका है। खाद्यान्नों का जहां भांडार है उन खाद्यान्नों की जगह खाद्य सामग्री, वह चाहते हैं, रख दिया जाय, उसके बाद खाद्यान्न सामग्री रख दिया जाय।

इसके पूर्व मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि जो खाद्यान्न या खाद्य सामग्री सरकार की ओर से मान ली गयी आखिर उसमें क्या तर्क था ? माननीय मंत्री जी ने उस समय तो खाद्यान्न के आगे खाद्य सामग्री के लगाने की बात सरलता के साथ मान ली। लेकिन अब मैं यह समझने में असमर्थ हो रहा हूं कि अब उसी का ऐसा कौन सा अर्थ निकलेगा, जिसको माननीय मंत्री जी यहां मानने को तैयार नहीं हैं। माननीय मंत्री जी की यह जो गतिविधि है यह आपस में संगत नहीं है, जहां इंटरनल कंट्रेडिक्शन होता है, श्रीमन्, वहां इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक ही बात आध घंटे पहले, एक घंटे पहले, दो घंटे पहले स्वीकार करना और फिर उसी बात को आगे चलकर अस्वीकार करना, नेवर कंप्रोमाइजिंग प्रिंसिपिल्स (कभी न होने वाला समझौता वाले सिद्धांत) में इस सिद्धांत का तहेदिल से पक्षपाती हूं। अगर कोई उसूल की बात है तो आदमी को अपने उसूल को लेकर परिस्थिति विशेष में अकेले खड़ा रहने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसी सदन के अन्दर और आज ही एक ही तिथि में एक तरफ यह तर्क होता है कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त भी खाद्य सामग्रियां होती हैं, इसलिये "एवं खाद्य सामग्रियों" को जोड़ा जाना आवश्यक है

और फिर इस सदन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं, खाद्यान्नों के आगे खाद्य सामग्रियों का जोड़ा जाना उचित नहीं है। इसका कोई तर्क नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं और इस प्रकार सरकार की ओर से यह एक प्रकार की अनावश्यक हठवादिता का परिचय दिया जाता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा पुनः माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्वतः विचार करें और चाहें तो इस पर डिस्कशन (वादविवाद) हो जाय, क्योंकि उनकी गतिविधि में काफी कंट्राडिक्शन (मतभेद) है, क्योंकि एक जगह खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों के लिये भांडारिक आवास को अधिकृत करेंगे, लेकिन फिर जब उसमें रखने की बात होती है तो इन शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है। तो श्रीमन्, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने दोनों तर्कों को हमको समझायें कि एक जगह वह क्यों खाद्य सामग्री का जोड़ा जाना आवश्यक समझते हैं और दूसरी जगह क्यों वही अनावश्यक समझते हैं। अगर हम इस बात को तर्कों द्वारा समझ जायंगे तो मैं समझता हूं कि संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि केवल वह हठवादिता का परिचय देना चाहेंगे कि चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो जब मन में आयेगा तो जोड़ देंगे और जब मन में आया तो हटा दें तो मैं समझता हूं कि यह सदन का एक तरह से अपमान होता है। इसलिये मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ, नम्रता के साथ मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने आचरणों में जो असंगति हो रही है उस पर विचार करें और उसके बाद इस संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन का विरोध किया तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार के वैधानिक कार्यक्रम में कोई दुर्घटना घटित हो गयी है, क्योंकि रामेश्वर लाल जी के इसी प्रकार के दो संशोधन पहले स्वीकार कर लिये गये हैं और खंड ३ के उपखंड (१) में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भंडार में रखने के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है "तो इसमें खाद्यान्नों के साथ-साथ सामग्रियों को जोड़ दिया गया है। इसके बाद आज भी एजेन्डा के कार्यक्रम को देखें इसके नवें आइटम में एक रामेश्वर लाल जी का संशोधन था कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिया जाय और इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो दरअसल जहां-जहां खाद्यान्नों आया है उसमें "एवं खाद्य सामग्रियों" अपने आप जुड़ जाता है। तो जब यह शब्द खंड ३ में और खंड ५ में जुड़ गये तो कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि खंड ६ में जो कि खंड ३ और खंड ५ के संदर्भ में ही है उसमें क्यों न खाद्यान्नों के साथ खाद्य पदार्थ रख दिये जायं। यह क्यों नहीं रखे जाते? मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी की स्वभाववश विरोधी दल का विरोध करने की एक आदत सी पड़ गयी है और उन्होंने देखा कि चूंकि यह संशोधन विरोधी दल ने मूव किया है इसलिये इसका विरोध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको मंजूर भी कर दें तो कल आपको फिर दुबारा इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह उदात्त मनोवृत्ति से प्रेरित होकर इस पर विचार करें। यह कोई बहुत महत्व का संशोधन नहीं है और अब यह एक शाब्दिक संशोधन हो गया है और इसलिये इसको जरूर मंजूर होना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इस पर विचार अभी स्थगित कर दिया जाय और फिर बाद में सोच-समझ कर आप इसको स्वीकार करें।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के संमुख जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खाद्यान्नों से जो अर्थ है वह केवल इतना है कि खाद्य के सम्बन्ध में जो अन्न है। उसके स्टोर करने के लिये उन्हें जो गोदाम दिया जाय तो वह सीमित है लेकिन खाद्यान्नों के बाद एवं खाद्य सामग्री को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

जब हम और जोड़ देंगे तो वह बहुत विस्तीर्ण हो जाता है। उसमें सारी चीजें आ सकती हैं, कोई भी चीज न छूटे। किसी भी चीज को कह सकते हैं खाद्य के सम्बन्ध में यह सामग्री तैयार हो सकती है। तो मैं समझता हूं सरकार यह चाहती है, मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि क्यों मेरे माननीय मित्र उसके विस्तार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसका कि तात्पर्य बहुत वसीह शक्ल में लिया जाय और कोई भी चीज जो है वह उसमें शामिल कर दी जाय, क्योंकि सामग्री में आ जाय और उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिये इस आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि अभी कुछ देर के लिये इसको स्थगित कर दिया जाय और कुछ समय मंत्री जी को दे दिया जाय कि वह समझ लें।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन इस वक्त इस सदन में बहस में आ रहा है उसकी बाबत मैं सुनता रहा और मैंने अपने साथी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से भी बात की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति ४ में 'खाद्यान्नों' के बाद 'एवं खाद्य सामग्रियों' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

अनुबंध (agreement) द्वारा प्रतिकर।

७--कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर जो एकमुट्ठ धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक भुगतानों के रूप में हों, जो अपने और स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

न्यायालय का अभिदेश (reference)।

८--(१) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा।

(२) अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द व अंक 'की उपधारा (१)' निकाल दिये जायं। श्रीमन्, तात्पर्य यह होगा कि अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ तथा धारा २४ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उपधारा (१) अगर निकाल दी जायगी तो सारी धारा २३ और २४ दोनों का ध्यान रखेगा। यह उपधारा (१) के रख देने से इस अधिनियम के अनुसार एक प्रकार की सीमा हो गई थी कि उपधारा (२) जो धारा २३ की थी उस पर विचार नहीं किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि धारा २३ की उपधारा (२) पर भी विचार हो और न्यायालय के सामने जब किराए के बारे में बहस हो क्योंकि मुआवजा किराये के रूप में होगा और एकमुश्त भी दिया जा सकेगा, इन्सटालमेंटस में भी दिया जा सकेगा और किसी भी प्रकार से इंस्टालमेंट में दिया जा सकेगा। तो क्योंकि यह कम्पलसरी ऐक्वीजीशन है इसलिये लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि इसके कम्पलसरी नेचर को देखते हुये मार्केट रेट का १५ परसेंट एक एक्सट्रा अवार्ड उसको मिलना चाहिये यानी किराये में १/१५ उसको वृद्धि के रूप में मिलना चाहिये क्योंकि यह बिला नोटिस के या बहुत कम नोटिस पर यह आवास या मकान ले लिया जाता है। मैं आपकी आज्ञा से लैन्ड ऐक्वीजीशन की धारा २३ की उपधारा (२) को पढ़ देना चाहता हूं —

"23. (2) In addition to the market value of the land as above provided, the Court shall in every case award a sum of fifteen per centum on such market value, in consideration of the compulsory nature of the acquisition."

यानी भूमि का जो उस समय बाजार भाव है उसके आधार पर अगर यह रखें तो १५ परसेंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा अवार्ड दिया जाना चाहिये क्योंकि जो यह आवास है या जो भूमि है वह एक अधिकृत रूप से और एक कम्पलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से लिया गया है। यह लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (२) में है। तो जब माननीय मंत्री जी ने लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के सभी सिद्धांतों को इसमें मंजूर किया है तो कोई कारण नहीं दिखायी देता कि धारा २३ की उपधारा (२) को क्यों न माना जाय और उसको स्वीकार न किया जाय।

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने पेश किया है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। उनका कथन यह है कि यह न्यायालय के पास नहीं जाना चाहिये। अगर यह उस न्यायालय के सामने नहीं जाता है तो जो किराये का झगड़ा होगा वह तय नहीं हो सकता है। तो आप यह चाहते हैं कि यह जो न्यायालय के सामने यह मामला भेजा जाता है वह वहां नहीं पहुंचना चाहिये, क्योंकि आपको यह शक है कि न्यायालय उसमें कोई उचित निर्धारण नहीं करेगा और उससे जो आवास का मालिक है, या उसका एजेंट है उसको उचित किराया नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं यह जो आपका भ्रम है यह सही नहीं मालूम होता। इसलिये मैं आपके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (१) में वह सब बातें दी गयी हैं कि जिसके अनुसार प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर तय करेगा। उसमें उन सब बातों का विचार किया जायगा जो कि प्रतिकर देने के सम्बन्ध में जरूरी हैं। उस आवास की मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें डैमेज क्या होगा, उस व्यक्ति को जिसकी जमीन ली जायगी उसको और जगह जाना पड़ेगा, क्या कठिनाइयां होंगी, वह करीब-करीब ६ शर्तें हैं उसमें जिनका विचार करके प्रतिकर निर्धारित किया जायगा, धारा २३ की उपधारा (२) में यह बात दी गयी है कि जितना प्रतिकर धारा २३ की उपधारा (२) में किया जायगा, उसमें १५ प्रतिशत और जोड़ दिया जायगा। तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो धारा २३ की उपधारा (२) है वह भी जोड़ दी जाय यानी जब प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारित करे तो १५ प्रतिशत और जितना २३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रतिकर हुआ, उसमें जोड़ दे। मुझे ठीक खयाल तो नहीं आता है, लेकिन लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ है, शायद उस अमेंडमेंट में वह १५ परसेंट निकाल दिया गया है। लेकिन मुझे ठीक याद नहीं है, शायद ऐसा हुआ है। बहरहाल इस कार्य के लिये जो सरकार एक जनहित के लिये करे उसमें जितना धारा २३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रतिकर होता है उतना दिया जाता है, तो कोई अनुचित नहीं है। १५ परसेंट जोड़ दिया जाय, यह चीज कहां तक उचित है। वह १५ परसेंट जोड़ना

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किस काम के लिये लिया जा रहा है तो वह बहुत दिन के लिये लिया भी नहीं जा रहा है। यदि सरकार सदा के लिये कोई भूमि अक्वायर कर लेती है और वह उससे वंचित हो जाते तो १५ परसेंट जोड़ा जाता, लेकिन वह तो थोड़े काल के लिये लिया जा रहा है आवश्यकतानुसार तो उस अनोलाजी को लाना और धारा २३ की उपधारा (२) को जोड़ना मुनासिब नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अस्वीकार होना चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन है, यह सही है कि उसने माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य को एक मौका दिया कम्पेन्सेशन के शब्द बढ़ाने की बात को विरोधी पक्ष की ओर से रखे जाने का विरोध करने का। श्रीमन्, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि जहां तक कम्पेंसेशन का सवाल है, मैं सिद्धांत के रूप में कम्पेंसेशन देने को नियमतः मान लिया जाय, इसका विरोधी हूं। इसीलिये श्रीमन्, जब और बड़े-बड़े प्रश्नों पर कम्पेंसेशन देने की बात सरकारी पक्ष की ओर से रखी जाती रही है तब हम अपनी ओर से रिहैबिलिटेशन ग्रांट की बात करते रहे हैं और हम बराबर इस बात को चाहते रहे हैं और अब भी चाहते हैं कि वही पुनःवास अनुदान ही सिद्धांत रूप में माना जाना चाहिये कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसके जीवन निर्वाह का साधन नहीं है और उसके उत्पादन के वह साधन ले लिये जाते हैं तो उसके जीवन निर्वाह की समुचित व्यवस्था सब इस सरकार को करनी चाहिये। मगर क्या माननीय मौर्य जी इस सदन में आज तक जितने विधेयक प्रस्तुत हुये कि कहीं से इस बात को साबित कर सकते हैं कि यह सरकार कम्पेंसेशन देने के विरोध में है। फिर यहां पर एक मौके की तलाश करके माननीय मौर्य जी मौलिक सिद्धांत को सामने न रखें तो ज्यादा अच्छा है। हां, एक बात वह जरूर कहते हैं और वह सही है कि यदि माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन मान लिया जायगा तो जो कम्पेंसेशन का रेट बनेगा उसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि तो होगी, उसको देना पड़ेगा मगर यह सिद्धांत जो रखा गया है यहां पर स्वतः और बाध्य इन दोनों चीजों को दृष्टि में रखकर बना है। एक तो बात यह है कि कोई स्वतः अपनी बात को देखते हों, या किसी को समुचित अवसर प्राप्त करा के सारी परिस्थिति को उसकी बुद्धि में समझाकर किसी की चीज ली जाती है, और किसी से जबरदस्ती, बिना अवसर के बिना किसी मौके के बिना सफाई के अगर उसका धन ले लिया जाता है तो क्या इन दोनों परिस्थितियों में मौर्य जी कोई फर्क करते हैं या नहीं? जहां तक लैन्ड एक्वीजीशन की धारा २३ के प्रथम और द्वितीय उपखंडों की बात है वह उन्होंने कही है। उस समय के कानून निर्माताओं ने अपने सामने इन दोनों बातों को रखा कि हम जब कम्पलसरी कहते हैं। किसी पर दबाव देकर के बिना उसको मौका दिये हुये कि वह अपनी बातको कह सके, हम उसके सामान को ले लेते हैं, उसके भांडारिक आवास को ले लेते हैं और जो फैसला मैजिस्ट्रेट देता है वह अंतिम होता है तब वहां पर कुछ ऐसी बात आती है कि उसके साथ कहीं अन्याय न हो जाता हो, कहीं जबर्दस्ती न हो जाती हो, उसके हक को नाहक में न बदल दिया जाता हो। यह बात, श्रीमन्, जरूर सामने आती है। तो मैं यह साफ कह दूं कि मैं न तो नारायणदत्त जी के संशोधन के पक्ष में हूं और न तो जिस तरह से सरकार का विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ है उसके पक्ष में हूं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी हमको मन्तव्य स्थान पर नहीं ले जाता और जिस तरह का यह विधेयक प्रस्तुत है वह भी हमको अपने उद्देश्य की ओर, अगर हमारा वही उद्देश्य है यानी समाज की रक्षा करना, जिसमें शोषण के प्रभुत्व का खात्मा होगा, नहीं ले जाता। ऐसी हालत में कोई न कोई व्यवस्था यहां पर होनी चाहिये थी, जिससे जिसका भांडारिक आवास लिया जाय वह अपने हक को पेश कर सके, जिस रूप में वह अपना न्याय समझता हो उस न्याय को रख सके, किसी कोर्ट के सामने। मगर वह चीज यहां पर नहीं है और जब वह चीज यहां पर नहीं है तो बड़ी परेशानी हो जाती है हमारे ऐसे लोगों के लिये।

तो मैं इस विधेयक को अधूरा समझते हुये और उस अधूरेपन को दूर करने की जो माननीय नारायणदत्त जी ने कोशिश की वह मंशा तो बहुत ठीक है, यह मैं आपसे साफ कह दूं कि वह समझते हैं कि अगर किसी के साथ जबर्दस्ती होगी, कम्पलसरी (आवश्यक) तरीके पर उसके आवास

को ले लिया जायगा तो उसके साथ ज्यादती होगा, उसको कुछ न कुछ मौका मिलना चाहिये, ताकि जो उसके साथ ज्यादती हुयी हो उसको वह कम्पेंसेट कर सके। मगर जो तरीका है, जो ढंग है १८९४ के कानून का, उसके साथ जो नाहक का काम हुआ है, जो जबर्दस्ती और जोर जुल्म हुआ है वह पूरा नहीं हो पायेगा। इसमें ट्रेजरी बेंच को काफी मौका मिलेगा इस संशोधन को सामने रख कर कि विरोधी पक्ष के लोग तो ज्यादा कम्पेंसेशन दिलवाना चाहते हैं। १८९४ में जब बृटिश साम्राज्यशाही नंगा नृत्य कर रही थी उस समय का जो बना हुआ कानून है उस कानून के मुताबिक ये पैसा बड़े लोगों को दिलवाने के पक्ष में हैं, क्योंकि श्रीमन्, भांडारिक आवास साधारण व्यक्तियों के पास नहीं होंगे। वे तो उन्हीं के पास होंगे जिनके पास भांडार में रखने के लिये कोई चीज हो। उन छोटे-छोटे किसानों के पास, उन छोटे-छोटे कारबार करने वालों के पास कहां से भांडारिक आवास होंगे। खाने-पीने से जिनके पास बचता है वे ही भांडार बना सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे बड़े-बड़े लोग जो बड़ी-बड़ी जमीन के मालिक हैं, जिनके पास काफी अन्न बचता होगा और जो उसे रखने के लिये भांडार बनाते होंगे, उन्हीं के लिये यह क्लाज हितकर हो जायगा। इसमें गरीब की कोई भलाई नहीं होगी, क्योंकि उसके पास भांडारिक आवास नहीं हैं। हमारे प्रदेश में करीब ७५, ८० फीसदी मकान ऐसे हैं कि उसी मकान में हम रहते हैं, उसी में रिश्तेदार आकर रहते हैं और एक कोने में किसी बर्तन में थोड़ा सा गल्ला चावल, गेहूं पड़ा हुआ है, जिसको हम खाकर गुजर बसर करते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि वह संशोधन के पक्ष में नहीं हैं और उनका रिहैबिलिटेशन पर कोई संशोधन नहीं है तो फिर सारी बहस रिहैबिलिटेशन के बारे में क्यों की जा रही है ?

(श्री उपाध्यक्ष के इशारा करने पर श्री राजनारायण ने अपना भाषण जारी रखा।)

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। यह सही है कि द्वारका प्रसाद मौर्य जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रह चुके हैं और कहां प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जाता है यह उनको समझना चाहिये। आपने अच्छा किया जो इसको प्वाइंट आफ आर्डर नहीं माना।

मैं अर्ज कर रहा था जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होने जा रहा है उसे न्याय कैसे मिल पायगा, मैं यह सुझाव देने जा रहा था और मैं माननीय मौर्य जी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्रीमन्, यह खंड ८ है, इसके उपखंड (२) को देखने की कृपा करें। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय बैठे हैं। अगर विधेयक की कापी उनके सामने न हो तो उनको दे दी जाय, क्योंकि इसमें कम्पेंसेशन वगैरह के सवाल हैं और मैं यह मानता हूं कि वह समझते हैं चाहे कर न पायें। श्रीमन्, खंड ८ है उसमें यह लिखा हुआ है कि इसके निर्णय करने में न्यायालय लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के धारा २३ की उपधारा (१) को ध्यान में रखें। श्रीमन्, धारा २३ (१) क्या है ? श्रीमन्, हमारे पास अंग्रेजी में ऐक्ट है। इसलिये मैं इसको अंग्रेजी में जल्दी-जल्दी पढ़ दूंगा। वह इस प्रकार है कि ---

"23. (1) In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the Court shall take into consideration.

first, the market-value of the land at the date of the publications of the notification under section 4, sub-section (1) ;

secondly, the damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops or trees which may be on the land at the time of the Collector's taking possession thereof ;

thirdly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of serving such land from his other land;

[श्री राजनारायण]

fourthly, the damage (if any) sustained by the person interested at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, moveable or immoveable, in any other manner, or his earnings;

fifthly, if, in consequence of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change; and

sixthly, the damage (if any) bona fide resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 6 and the time of the Collector's taking possession of the land."

श्रीमन्, इसका सेकेंड पैरा छोड़ दिया है। जो अधिकार किसी की जमीन के लेने के बारे में या भांडारिक आवास लेने के बारे में और क्योंकि यह विधेयक भांडारिक आवास लेने के सम्बन्ध में है तो उनसे यदि भांडारिक आवास लिये जायेंगे तो उनको मुआवजा किस तरीके से दिया जायगा, इसकी विधि बतलायी गयी है। जब इसको बतलाते हुये लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट जो १८९४ का बना हुआ है। उसकी धारा २३ की पहली उपधारा उसमें ६।१ बातें रखी गयी हैं जो मार्केट वैल्यू है यानी इस समय बाजार में उसकी दर क्या है उसको दृष्टिकोण में रखते हुये वह किसी भांडार आवास की कीमत को तय करेंगे। इसके बाद जो उससे हानि होगी यानी किसी भांडारिक आवास को कलेक्टर सरकार ले लेती है तो उस आवास को लेने में जो क्षति होती है तो उस व्यक्ति विशेष की क्षतिपूर्ति करने की इसमें गुंजाइश है।

तीसरी बात जो हम देखते हैं कि इस जमीन को लेने से जो उसके साथ में लगी हुयी जमीन है यानी उस बिल्डिंग को लेने से उसके किसी दूसरे आवास पर जो आघात पड़ता है और जो क्षति होती है उसकी बात भी यहां पर है।

चौथी बात यह कि वह व्यक्ति जिसके भांडारिक आवास को सरकार लेती है तो उस भांडारिक आवास के लेने से उसके सामान का तो नुकसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिये कि मुख्य मंत्री जी का कोई भांडारिक आवास है और उसके अन्दर काफी गल्ला जमा किया हुआ है। यह सरकार जबरदस्ती चाहे तो उस भांडारिक आवास को ले तो जो उसके अन्दर मुख्य मंत्री जी सामान रखा हुआ है, गल्ला रखा हुआ है वह कहां जायगा। वह तो सड़ जायगा। उसके रखने के लिये भी कोई जगह चाहिये। तो उस दृष्टिकोण को सामने रखकर इस क्षति का अनुमान लगाना पड़ता है और उसके बाद ५ वीं बात यह है कि यह देखा जायगा कि उसके अपने आवास में उसके पास रहने से उसको कितना मुनाफा हो सकता था। इस चीज को भी देखा जायगा। तो यह चीजें इसके अन्दर दी हुयी हैं।

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, इस विधेयक पर जो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (२) है मैं इस समय उसके संशोधन पर बोल रहा था जो इस विधेयक की धारा ८ में है। इसमें यह है कि धारा २४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हैं, ध्यान रखेगा। इसी सम्बन्ध में मैं इस समय भाषण कर रहा हूं। उस लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ को सामने रखकर मैं देखता हूं कि इसमें इतनी चीजों की गुंजाइश है कि भांडारिक आवास के लेने से जो क्षति, जो मुनाफे की क्षति और दूसरी इतनी बातें हैं कि जो कुछ भी अधिक से अधिक उसको देने की बात हो सकती है उसकी गुंजाइश इसके अन्दर है। सवाल यह है कि जो १५ परसेंट का संशोधन बढ़ाने की बात कही जाती है उसको मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं उसके विरोध में हूं। मैं १५ परसेंट के बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिये आपके द्वारा मैं श्री मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि जो उनका दृष्टिकोण है वह हमारा दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। हमारा जो दृष्टिकोण है वह उनके दृष्टिकोण से भिन्न है। सरकारी पक्ष के लोगों की धारणा यह बनी हुयी है कि विरोधी

पक्ष के लोगों से जो संशोधन आता है उसके विरोध में २,४ बातें कहकर रास्ता निकालने की नीति सरकारी पक्ष के सदस्यों की नीति है। वह हमारी नीति नहीं है। हम यह जानते हैं कि जो १८९४ का ऐक्ट है उसकी धारा २३ की जो पहली उपधारा है उसमें कुछ बातें कही गयी हैं। जो कारण वह देना चाहें वह उस व्यक्ति विशेष को बताना होगा। अगर मौर्य जी कम्पेंसेशन देने के विरोध में हैं तो उनको इसका विरोध करना चाहिये क्योंकि सारी बातें तो इस उपधारा में आगयी हैं। अब वह नारायणदत्त की बात को लेकर १५ परसेंट और बढ़ाना चाहते हैं फिर वह मौलिकता नहीं है। हम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देना चाहते हैं मगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाये कि मीन्स आफ प्रोडक्शन और मीन्स आफ जाईबलीहुड को देखे और आवश्यकता के मुताबिक पुनर्वास का अनुदान दे। मैं इस विधेयक और संशोधन दोनों का विरोध करता हूं। मैंने कहा था कि सात वर्ष से इस सरकार के सामने भांडारिक आवास बनाने का अवसर था मगर सरकार ने पूरी लापरवाही दिखायी। हमारे पहले २,३ संशोधन फेल हो चुके हैं जो अच्छे थे.....

श्री अध्यक्ष—अब आप विधेयक पर आजावें। समय खत्म होने वाला है।

श्री राजनारायण—धारा २४ को आप देखें और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भी देखी होगी। अगर सरकारी पक्ष के लोग सदन का ज्यादा समय नष्ट करें तो करें मगर हम इसका ख्याल रखते हैं। मैं यही सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक में स्वतः इस प्रकार से संशोधन रखे ताकि जिस व्यक्ति का भांडारिक आवास लिया जाय वह व्यक्ति समुचित मौका पावे अपने हक को रखने का। यदि किसी व्यक्ति के साथ नाहक हो रहा हो तो वह उसे हक में और अन्याय को न्याय में बदल सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी और माननीय द्वारकाप्रसाद जी द्वारा दिये गये तर्कों को सुना। कम्पैन्सेशन का शब्द इसमें एक प्रकार से भ्रमात्मक है। शायद एक्वायर करने की बात होने के कारण यह शब्द रखा गया है, वरना किराये की बात होती। मुआवजा शब्द यहां उस रूप में नहीं है जिसमें जमींदारी या किसी बड़ी फ़ैक्टरी को समाप्त करने में होता है। मेरे संशोधन का पर्याय यही था कि जब हम विधान के अनुसार सिद्धांतों को निश्चित करने जा रहे हैं जिनके अनुसार हम मकान-मालिक को मुआवजा देंगे तो मेरा यह प्रस्ताव था कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं वह माने जावें। सभी सिद्धांत मानने चाहियें। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारायें २३ और २४ परस्पर पूरक हैं। माननीय मंत्री जी ने खंड २४, को जो निषेधात्मक है, पूरा माना है, अर्थात् नहीं होंगे तो सब रख लिये हैं और होंगे को आप ने आधा काट लिया है। इसलिये धारा २३ को भी पूरा मानना चाहिये।

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन पर जो वक्तव्य माननीय राजनारायण जी ने दिया है मैं उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें इस संशोधन के साथ जोड़ दी हैं जिससे उनका आशय मैं नहीं जान सका। यह धारा बिलकुल साफ है कि १८९४ के लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ के अनुसार जब कोर्ट में यह मामला जायगा वह तय करेगी कि कितना उस आवास के मालिक का नुक़सान हुआ है और उसे किस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये। उसके साथ १५ प्रतिशत उसे अधिक मिलेगा। मैं समझता हूं कि नारायणदत्त जी की दलील उचित नहीं है और उनका अभिप्राय कुछ और ही मालूम पड़ता है। मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द व अंक "की उपधारा (१)" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और शब्द व अंक "धारा २४" के बाद शब्द व अंक "धारा २५, धारा २७ तथा धारा २८" रख दिये जांय। संक्षेप में इसका मंशा यह है कि यह खंड सिद्धांतों को निश्चित करता है कि किस प्रकार से मुआवजा दिया जायगा। लेकिन यह सिद्धांत अधूरे हैं। इनमें यह लिखा है कि कोर्ट किस प्रकार से मुआवजा देगी। कलेक्टर ने जितना मुआवजा दिया है अगर कोर्ट उससे ज्यादा निश्चित करती है तो उस पर सवा छः परसेंट ब्याज भी होगा और वकीलों की फीस के बारे में भी प्रावीजन है। मैं चाहता था कि यह तीनों शर्तें जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में लिखी हुई हैं उनकी ओर भी न्यायालय ध्यान रक्खे। यह पढ़ने की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। यह तो ठीक है, न्यायालय इन बातों पर विचार करेगा और जरूर इन बातों पर ध्यान देगा और यह इसमें लिखा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि वह कहां पर लिखा हुआ है। इसमें यह कहां पर लिखा हुआ है कि न्यायालय २५, २७ और २८ धारा का भी ध्यान रखेंगे।

श्री बलदेवसिंह आर्य—अगर आप धारा ८ की उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति को देखें तो आप को पता चल जायगा कि उसमें यह लिखा हुआ है कि वह धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का ध्यान रखेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो धारा २७, २८ और २५ के बारे में कह रहा हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल अनावश्यक है। सारा प्रोसीजर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार ही होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द 'तथा' निकाल दिया जाय और शब्द व अंक 'धारा २४' के बाद शब्द व अंक 'धारा २५, धारा २७ तथा धारा २८' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि समय बहुत कम रह गया है तो जो संशोधन मैं पेश करूं और यदि माननीय सदस्य खड़े हो जायं, तो उसी संशोधन को पढ़ दिया जायगा और राय ले ली जायगी बाक़ी पेश नहीं किये गये, ऐसा समझा जायगा।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के अन्त में नये उपखंड (३) तथा (४) निम्नप्रकार बढ़ा दिये जायं—

"(३) धारा (७) व धारा (८) उपधारा (२) के अधीन निश्चित प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में कलेक्टर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ३०, धारा ३१ व धारा ३४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

(४) अभिदेश का निर्णय करने में न्यायालय भुगतान के सम्बन्ध में लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २९, धारा ३२ व धारा ३३ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हों सकते हों, ध्यान रखेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९---समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (enactment) में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न हो सकेगा।

न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण न हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं एक मिनट में केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन दूसरी अपील के सम्बन्ध में है और माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त ने सन् ४७ में इसको मान लिया था और केवल कौंसिल में जाने की बात रह गयी थी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ९ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिये जांय :---

"पर प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय की अनुमति से जिला जज के न्यायालय में अपील व पुनरीक्षण हो सकेगा।"

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक जोड़ दिया जाय :---

"पर प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय की अनुमति से जिला जज के न्यायालय में अपील व पुनरीक्षण हो सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०---(१) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था। यदि भांडारिक आवास अधिग्रहण के दिनांक पर बंधक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बन्धक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति जिससे वह अधिगृहीत किया गया था, मर गया है, तो कलेक्टर ऐसे जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा।

अधिग्रहण से छोड़ा जाना।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के सम्बन्ध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अभिकर्ता (agent) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है।

(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति ६ के शब्द "गया है" तथा शब्द "तो" के बीच में शब्द "अथवा उसने हस्तान्तरित कर दिया है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) की पंक्ति ३ के शब्द "ना" के स्थान पर शब्द "न" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द "चिपकवा कर" के बाद और शब्द "यह" के पहले शब्द "तथा गजट में विज्ञप्ति द्वारा" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति २ के शब्द "गया हो" के बाद शब्द "और गजट में विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति ४ के शब्द "समझ" के स्थान पर शब्द "समझा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११--यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर को किसी भांडारिक आवास को कब्जा नहीं देता, अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता है, तो

वह ऐसी अवधि के लिये जो एक मास तक की हो सकती है, कारावास के दंड का अथवा अर्थ दंड का, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों का भागी होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

१२--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन अथवा ऐसे विलेख (instrument) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (having the force of law) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावकर होंगे (shall have effect)। उन उपबन्धों का प्रभाव जो अन्य विधायनों से असंगत हों।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में शब्द "का सा" के स्थान पर शब्द "जैसा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३-१६

१३--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की सुरक्षा।

१४--उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उस के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर दी गई हों, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा। किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना।

१५--(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०८ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो। निरसन (repeal)।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा की गयी कोई नियुक्ति, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (१) के अधीन जारी रखे गये उक्त नियम अथवा आज्ञा के उपबन्धों के अधीन दी गयी, की गयी, किया गया अथवा प्रयुक्त समझे जायेंगे।

१६--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३, १४, १५ तथा १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा अवधि।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ७ जुलाई, १९५५ को, और से प्रचलित समझा जायगा।

(४) इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्वकृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) बातों को छोड़ कर, यह अधिनियम ३० जून, १९५६ की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा और इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ उसी प्रकार लागू होगी मानो वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) को निम्नरूप में रख दिया जाय।

१—(३) यह ७ जुलाई, १९५५ ई० से प्रचलित समझा जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (१) के उपखंड (३) की पंक्ति १ के शब्द "को, और" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "न रह जायगा" के स्थान पर शब्द "नहीं रहेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने यह संशोधन भेजा है कि जहां जहां पर इस विधेयक में शब्द "खाद्यान्न" आया है वहां वहां शब्द "एवम् खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं। रसद मन्त्री जी, क्या आप को स्वीकार है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जहां जहां आवश्यक था यह शब्द बढ़ा दिये गये हैं उपयुक्त स्थानों पर स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक के सभी आवश्यक स्थानों पर शब्द "खाद्यान्नों" के आगे शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित किया गया था;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक और आनुषंगिक विषयों के नियंत्रण और विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एजेंडा के सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं । आप स्वयं देखेंगे कि कल के एजेंडा में यह प्रस्ताव नहीं था और आज अकस्मात इसने एजेंडा में स्थान ग्रहण कर लिया है । इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई साहित्य भी नहीं है । पहले भी संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में कुछ लिट्रेचर दिया जाता था जैसे विधान का संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव हो । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---यह दूसरा सवाल है । यह दूसरा सवाल जब आ जाता है जब माननीय मंत्री जी इसको पेश कर दें, तब कागज वगैरह आप मांग सकते हैं, जहां तक पहले सवाल का सम्बन्ध है कि यह एजेंडा पर क्यों आया इसका जवाब मैं दिये देता हूं ।

मेरे पास सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसको आज चालू विधेयक के बाद आ जाना चाहिये क्योंकि यह विषय अभी संसद में उपस्थित हो रहा है और हमारी विधान सभा का भी इसके सम्बन्ध में जो निर्णय हो उसको उनके पास भेज देना चाहिये । इस बीच में यह न हो कि इसकी वजह से कोई अटकाव हो । ऐसी अवस्था में मैंने यह इजाजत दे दी कि क्रम बदल दिया जाय, नियमों के अनुसार सरकार को अधिकार है सरकारी कामों के बारे में तरतीब तै करने को यह बात भी ठीक है कि सदन चाहे उस क्रम को बदलवाना तो सरकार से बदलवा सकती है लेकिन वैसे पेश करने के लिये तो सरकार स्वयं निश्चय करती है । मैंने उस निश्चय

[श्री अध्यक्ष]

को ठीक समझा और मैंने इस बात की इजाजत दी कि इस क्रम को बदल दिया जाय और जो विधेयक चालू था उसके विचार के बाद इसको उपस्थित किया जाय। यह तो इस विषय में हुआ। अब दूसरा प्रश्न तब उठ सकता है जब माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दें विचार के लिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मुझे भी कुछ निवेदन करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि इसे आज न पेश करके कल करें तो अच्छा होगा। इसमें कोई विशेष आपत्ति न होनी चाहिए। क्योंकि चन्द घंटों का प्रश्न है और उस समय हमें अवकाश मिल जायगा कि हम इस पर पूरी तरह से विचार कर सकें। ऐसी अवस्था में मैं केवल अनुरोध कर सकता हूं और आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में यह है कि आज माननीय मुख्य मंत्री अपने विचार प्रकट कर दें और जो कुछ साहित्य इस सम्बन्ध में उपलब्ध हो सकता है वह भी हमें उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें ताकि कल हम इस पर विवाद करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के पेश हो जाने के बाद सभी सदस्यों का यह ख्याल होगा कि इस पर न कोई साहित्य है, न कोई साहित्य हो सकता है और न किसी साहित्य की आवश्यकता है। आपकी इजाजत से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह "विधान सभा यह संकल्प करती है कि यह वांछनीय है कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक और आनुषंगिक विषयों का, जहां तक वे ऐसे विषय हों जिनके सम्बन्ध में संसद को राज्यों के लिये विधि बनाने का अधिकार प्राप्त न हो, नियंत्रण तथा विनियमन संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार हो।"

थोड़े में इसका तात्पर्य यह है प्राइज पजिल्स और क्रासवर्ड पजिल्स इस सम्बन्ध में अखबारों में बहुत ज्यादा दीख पड़ता है कि एक एक पजिल के लिये एक एक लाख रुपया इनाम में दिया जाता है और इस प्रकार यह एक भयंकर जुआ हो रहा है। यह कोई नहीं जानता कि जो इन पजिल्स को चलाते हैं वे खुद कितना रुपया कमाते हैं कभी कभी पहेलियां अखबारों में छपती हैं और यह लिख देते हैं कि इसका वही उत्तर असली माना जायगा जो हमारे दफ्तर में सुरक्षित है और पहेलियां ऐसी होती हैं कि एक एक पहेली के १५, १५ और २०,२० उत्तर हो सकते हैं। और उसके एक उत्तर में एक रुपया, दो रुपया या जो कुछ भी रहे, भेजना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उनके साथ लड़ कर, कागजों से, जितने उत्तर बन सकते हैं बनाये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि एक पहेली एक व्यक्ति दस उत्तर भी अगर भेजे तो बीस पचीस रुपये भेजता है। कितना रुपया जमा होता है कोई नहीं जानता। कितना इनाम जाता है रकम तो सामने रहती है लेकिन ऐसा कहा जाता है, यद्यपि सही बात क्या है कोई नहीं कह सकता, कि अक्सर दफ्तर के आदमी ही होते हैं जिनके नाम होते हैं, उन्हीं के नाम होते हैं कि फलां आदमी को इतना रुपया दिया गया। यह जुआ बड़े जोर के साथ फैल गया है। यह सोचा गया कि इसका कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। जहां तक पजिल वगैरह की बात है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार तो स्टेट्स का है। लेकिन जैसा कि संविधान में है अगर कुछ स्टेट्स चाहें तो पार्लियामेन्ट से इस बात के लिये प्रार्थना कर सकती है कि इसके विषय में कानून सेंटर से बने। हम खुद ऐसा कर चुके हैं। जैसा कि स्टेट ड्यूटी की बाबत हमने कानून नहीं बनाया। हमने यह समझा कि सब जगह एक-सा ही कानून होना चाहिये। तो इसके लिये सेंटर से प्रार्थना की कई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेट्स ने कि इसके लिये पार्लियामेंट कानून बना दे। इसके लिये अगर अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कानून बनायें तो कानूनों का एक ही तरह होने की सम्भावना है नहीं और जिस स्टेट का कानून कुछ ढीला होगा उसी स्टेट में वह अपना काम चलानां शुरू कर देंगे और वह काम ज्यों का त्यों जारी रहेगा। ऐसी दरख्वास्त आने के बाद सेंटर ने उचित समझा कि कोई कानून बनायें। लेकिन होगा यह कि अगर सेंटर कानून बना दे और सेंटर ने कोई कानून पास भी किया है और किसी स्टेट की तरफ से इस किस्म की दरख्वास्त न पहुंची हो तो वह कानून उस स्टेट के ऊपर उस वक्त तक लागू नहीं होगा जब तक दरख्वास्त वहां न पहुंच जाय। बम्बई ने कानून बना लिया है। उन्होंने हमसे खास तौर से प्रार्थना की, अभी मैं दिल्ली गया था। वहां केन्द्र के होम मिनिस्टर से बातचीत हुई और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यू० पी० जैसी बड़ी स्टेट्स हैं जिसने अपने यहां यह कानून नहीं बनाया है और डर इस बात का है कि जितने जुए वाले हैं वे सब अपना अड्डा जाकर यू० पी० में जमायेंगे और यू० पी० जुआ का अखाड़ा बन जायगा वह यहां से काम चलाते रहेंगे। इसलिये जरूरत है कि केन्द्र में कानून बने और जल्दी से हम इस बात की प्रार्थना कर दें कि संसद में कानून बन जाय और एक ही कानून सारे देश में लग जाय और जो किसी एक स्टेट्स में जो जुआ खेलने वाले हों उनको जुआ खेलने का मौका न मिले। इस सम्बन्ध में कोई साहित्य हो नहीं सकता। जो अखबार पढ़ने वाले हैं सब जानते हैं, और जिन लोगों को अनुभव है वे जानते हैं कि किस तरह से लोगों को इसके द्वारा तबाह किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मेरे कुछ मित्रों को आश्चर्य हुआ कि मैंने विरोध शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो यह सिद्ध होगा कि हमारा विरोध विरोध के लिये नहीं है। बल्कि कुछ सिद्धांतों के आधार पर है। पहली बात तो यह है कि आज आप इस प्रस्ताव के द्वारा हमारे सदन के इतिहास में पहली बार अपने राज्य के अधिकारों को अपने सदन के अधिकारों को केन्द्र को देने जा रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके पहले भी हम कर चुके हैं। स्टेट डियुटीज ऐक्ट के मामले में।

श्री नारायणदत्त तिवारी---खैर, दूसरी बार सही। लेकिन बार बार दोहराना इस प्रकार की गल्तियों को मैं ज्यादा उचित नहीं समझता। तो प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे पास साहित्य न इस पर है न कोई होना ही चाहिये और अभी स्वयं श्रीमन्, आपने बताया कि सरकार के द्वारा अभी सूचना दी गयी है कि संसद में इस सम्बन्ध में कोई अधिनियम पेश हो चुका है। इस सदन में हम, संसद में जो कार्यवाहियां हो रही हैं उनकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, लेकिन समाचार पत्रों से हमको विदित हुआ अभी चार, पांच दिन पहले की वहां पर इस सम्बन्ध में कोई बिल पेश हुआ है। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या प्राविजन्स हैं, उसमें क्या शर्तें हैं और क्या विधान है और न हमारे सामने वह सारा बिल आया है और न आ सकता है। इस सदन के सदस्य यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रकार का विधान जो बनाया जायगा वह उस प्रदेश में कहां तक लागू हो सकता है, कहां तक लागू होना चाहिये, कहां तक उसकी अनिवार्यता है और कहां तक उसकी अनिवार्यता नहीं है। जहां तक यह प्रश्न है कि जुआ नहीं होना चाहिये, क्रासवर्ड कंपिटीशंस होते हैं वह नहीं होने चाहिये, जुए के रूप में नहीं होने चाहिये, यह सिद्धांत तो तभी को मानना पड़ेगा और हम भी इसको मानते हैं। हम यह नहीं चाहते कि क्रासवर्ड के जरिये लाखों रुपये के नाम पर बहुत बड़ी जनता के एक बहुत बड़े हिस्से का शोषण किया जाय या एक कंपिटीशन के नाम पर उनका शोषण किया जाय। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है हम माननीय मुख्य मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

से अवश्य सहमत हैं। लेकिन अगर हमारे राज्य में इस प्रकार की आवश्यकता है तो हम स्वयं उनके बारे में कानून क्यों न बनायें। कई ऐसे कानून हैं कि जो कांकरेंट लिस्ट में हैं, विधान की कांकरेंट लिस्ट में हैं। उसमें पार्लियामेंट ने भी कानून बनाया है और हमने भी बनाया है। हम इस क्रासबर्ड कंपिटीशन के विषय पर अपना कानून बनायें, हमारे राज्य में जो हालत है, जो बाहर से आने वाले पीरिया डिकल्स हैं उन पर हम एक बैन लगायें, ताकि इस प्रकार के कंपिटीशन न हों। अगर इस सब से कोई परिणाम न निकले तब तो हम सोच सकते हैं कि इस प्रकार का असाधारण कदम उठाना आवश्यक है लेकिन अपना कानून बनाने की शक्ति का हम प्रयोग न करें और दूसरे राज्यों की देखा देखी हम भी यहां पर एक प्रस्ताव पास करने की चेष्टा करें, यह मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त बात नहीं है।

अब श्रीमन्, मैं आपके सामने विधान की वह धारा पढ़ना चाहता हूं कि जिसके आधार पर यह कानून आया है। यह धारा २५२ (१) है। इसमें लिखा है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह आवश्यक प्रतीत हो कि वह किसी ऐसे मामले में जिस पर कि पार्लियामेंट विधान नहीं बना सकती, अगर वह पार्लियामेंट को इस प्रकार का विधान बनाने के लिये इजाजत देना चाहते हैं, एक अधिकार देना चाहते हैं कानून के द्वारा और अगर इस प्रकार का प्रस्ताव वहां के राज्य मंडलों के द्वारा पास हुआ है तो पार्लियामेंट के लिये यह कानूनी होगा कि वह उस मामले में कानून बना सकें। और फिर उसमें आगे लिखा है कि :

"Any Act so passed shall apply to such states and to any other state by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses by each of the Houses of the legislature of that State."

और यह कानून पार्लियामेंट से पास हो जाने के बाद उन राज्यों पर भी लागू हो जायगा जो कि बाद में प्रस्ताव द्वारा पास करती है कि यह कानून हमारे यहां लागू किया जाय। तो मैं समझता हूं कि यह जो दूसरा कोर्स यहां रखा गया है उस पर विचार नहीं हुआ है। यदि हम स्वयं विधान बनाना नहीं चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाये तो हमें इंतजार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि पार्लियामेंट कैसे कानून बनाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बहुत से राज्यों ने प्रस्ताव पास किया है। मैं नहीं जानता कि किन किन राज्यों ने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन बहुत राज्यों का अर्थ यह है कि २ से अधिक राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिया होगा। उन्होंने "पल्यूरल" शब्द का प्रयोग किया तो इससे पता चलता है कि कम से कम दो राज्यों ने तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है और अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जब पार्लियामेंट में कानून बन जायगा तब हम उस पर विचार करेंगे कि हम उसको मानें या न मानें। यह हो सकता है कि पब्लिक ओपीनियन के लिये वह बिल रेफर किया जाय या पार्लियामेंट यह निश्चय कर सकती है कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये जाय और उस समय यह हमारे सामने भी आ सकता है। तो उस समय हमको यह मौका मिल सकता है कि उस बिल पर कुछ सुझाव दे सकें। आज अगर इस वक्त सीधे पास कर देते हैं तो क्या चारा हमारे पास रह जाता है अगर कोई बात हम जोड़ना चाहें अपने प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये तो उस विधेयक में कुछ नहीं जोड़ सकते। इसलिये मेरे विचार से अगर हमको उस कानून को अपने यहां लागू करवाना भी है तो विधान की धारा २५२ (१) के द्वितीय अंश को हमें मानना चाहिये। किसी प्रकार भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिये अपने राज्य में जो राज्य विधान सम्बन्धी अधिकार हैं उनको अनावश्यक और शीघ्रतापूर्वक देने की चेष्टा करें। आप यह देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में आइटम ३४ है बेटिंग और गैम्बलिंग जो कि विधान की धारा २४६ (३) के अनुसार केवल हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा ही कानून बन सकता है। तो मैं समझता हूं इच्छा होते हुये भी, माननीय मुख्य मंत्री के आशय से सहमत होते हुये भी हम केवल इसलिये कि हम जहां तक हो सके अपने अधिकारों को पार्लियामेंट को देना नहीं चाहते।

यह नहीं कि हमें पार्लियामेंट से झगड़ा मोल लेना है, अगर आवश्यकता पड़े तो हम और भी अधिक पावर देना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुये हमें कानून बनाना है। यह भी हमको देखना है और अपने सुझाव भी हमें देने हैं, जैसा मैंने इशारा किया कि पब्लिक ओपीनियन के लिये रिफर होने पर हम भी सुझाव दे सकें। इसी आशा पर मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी विधान की धारा २५२ के द्वितीय अंश को लागू करें, प्रथम को नहीं। और इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--मान्यवर, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस उद्देश्य और सिद्धान्त को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीने यह संकल्प रखा है इस सम्मानित सदन के सम्मुख उसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकती हैं। परन्तु यह शिकायत इस सम्बन्ध में हो सकती है और वह यह है कि आज तक जिसकी जिम्मेदारी हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री पर नहीं है कि यह चीज हमारे इस सदन में बहुत पहले से ही आनी थी। बम्बई में जब एक कानून बन चुका था तो यह सोचना कि उत्तर प्रदेश इस माने में पीछे रहे, मैं इसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकता और न मैं इसको समझ सकता हूं कि इसके लिये कोई ऐसी गुंजाइश थी। श्रीमन्, जो शिकायत है वह तो यह है, लेकिन यह शिकायत मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें आये हुये अभी थोड़े दिन हुये हैं, ऐसी कोई बात कहना उचित नहीं होगा कि इसका यही एक रूप नहीं है इसके अनेकानेक रूप हैं। इस प्रदेश में जिस तरह बेटिंग और इस तरह के पजल्स से जो धन आप समझते हैं उसका दुरुपयोग होता है या वह गलत हाथों में जाता है या उसमें धांधली होती है, मैं यह कहता हूं कि आज यह फैशन माना गया है कि आप बहुत से क्लबों में देखेंगे छोटे से छोटे कि ताश जो मामूली सी चीज है उस पर भी बैटिंग चलती रहती है। तो इसके सम्बन्ध में यह देखना कि हमारी नीति क्या होगी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल यह कहना कि अधिकार हम केन्द्र को दे देना चाहते हैं, पार्लियामेंट को दे देना चाहते हैं और वह जो और स्टेट्स के सम्बन्ध में उनकी जरूरियात को देखते हुये कानून बनावे वह हमको भी स्वीकार हो, वह हम भी ग्रहण करें, मैं इससे कदापि सहमत नहीं, इस कारण से कि इस प्रदेश में हम यह नहीं समझते हैं कि हम इस तरह से असमर्थ हैं, हम परिस्थितियों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय डा० सम्पूर्णानन्द जी हों और जो प्रदेश एक मुल्क इतना बड़ा हो, उसके लिये यह कहना कदापि शोभा नहीं देता है कि हम संसद को इसको दे देते हैं। ड्यूटी के सम्बन्ध में आपने दे दिया मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक चीज जो आपके सामने है, मैं माननीय नारायणदत्त जी से भी सहमत नहीं हूं, इसमें कि आप पहले यह देख लीजिये कि सेंटर जो कानून बनाता है वह यदि आपको पसन्द हो तो आप २५२ (१), (२) के मुताबिक स्वीकार कीजिये और आपके प्रदेश में वह लागू हो। मैं आज यह समझ सकता था कि कोई ऐसा अन्देशा है कि जिसके लिये आज हमको अपने इस अधिकार को संसद को दे देना है एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज होते, एक विशेष परिस्थिति होती तो मैं समझता कि कांकरेंट लिस्ट के जो आइटम हैं वह संसद के सिपुर्द किये जायं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सी अवस्था है, आखिर उसके पीछे सिद्धांत क्या है जो कि यह संकल्प इस सदन से पारित हो करके सेंटर को भेजा जा रहा है। मैं यह कहता हूं कि इसमें उनका जो यह तर्क है कि यदि ऐसा न किया गया तो सम्भवतः यह उत्तर प्रदेश जुआड़ियों का एक अखाड़ा हो जायगा, मैं यह कहता हूं कि यह आप देख सकते हैं और उसी तर्क के उत्तर में मेरा यह कहना है कि आप उस कानून को देख सकते हैं और उस कानून से भी सख्त कानून आप उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। तब वह कौन सी गुंजाइश बाकी रहेगी, जिससे यह कहा जाय कि लोग जुए का अखाड़ा उत्तर प्रदेश को बना सकेंगे। इस तर्क से मैं सहमत नहीं और यह कहना कि जुए के लिये यह सबमें प्रमुख स्थान हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह]

जायगा यह कोई मानी इसके नहीं। वह जो तर्क माननीय मुख्य मंत्री जी देते हैं, मैं यह कहता हूं कि केन्द्र जो कुछ भी नियम बनाये, वह जो कुछ भी कानून बनाये, वह कानून, वह नियम आपको सम्भवतः पसन्द न आवें और हो सकता है आप यह समझते हों कि उससे भी सख्त कानून होना चाहिये या उसमें थोड़ी सी और सुविधायें देनी हैं, तो वह अधिकार आपके पास नहीं रहता, आप फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते, जिससे कि संसद का अपमान हो। श्रीमन्, यही नहीं यह जहां तक जुए का सम्बन्ध है इससे जो अनर्थ और अहित हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं कि महाभारत तक इसी के कारण हुआ, उसके अलावा भी आज इस देश का बहुत सा द्रव्य नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, यह शिकायत जो माननीय मुख्य मंत्री जी आज कहते हैं कि सुनाई यह पड़ता है, यद्यपि वह अधिकारपूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि यह क्रासवर्ड पजिल्स जो रनर्स हैं या जो इनके मैनेजर्स हैं या जिनकी वजह से यह क्रासवर्ड्स या पजिल्स हमारे भारतवर्ष में विद्यमान हैं उनके द्वारा बड़ी धांधली की जाती है, तो जब उनको यह स्वीकार है कि धांधली थी या नहीं थी, इसको वह अधिकारपूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन यह शिकायतें तो हैं, तो मैं यह समझना चाहता हूं उनसे आपके द्वारा यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि आखिर इस चीज पर आज तक क्यों परदा डाला गया। अगर यह सच है तो इस प्रदेश में तो कम, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि और भी प्रदेशों में बाम्बे में, मद्रास में जनता का बड़ा रुपया इस मद में गया है और उसी से ऊब कर बाम्बे सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। यू० पी० में अगर मंत्री महोदय यह कहते कि हमने इसकी इस हद तक जरूरत नहीं समझी कि फौरन हम कोई कदम उठायें, कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगावें जो न हो सके तो उस तर्क में कुछ सार हो सकता है, लेकिन यह कहना कि उत्तर प्रदेश का अधिक रुपया इस ओर नहीं जा रहा है, जिससे एक गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो, यह मैं स्वीकार करता हूं कि रुपया इस कदर नहीं जा रहा है और यह कहना है कि यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुका है, हमारे प्रदेश का इतना रुपया बरबाद हो रहा है और लोग अपने सही मार्ग से विचलित होकर एक ऐसे मार्ग पर पदार्पण कर रहे हैं जो भयानक प्रतीत हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं और अगर इस आधार पर नहीं लाया गया तो मैं समझता हूं कि सरकार क्षम्य है, परन्तु आज इस कांस्टीट्यूशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुझे संसद से कोई ऐसा विरोध नहीं और सेंटर से कभी ऐसा होना भी न चाहिये कि अधिकारों की सुरक्षा न हो और उन अधिकारों का सदुपयोग किया जाता है। एक साहब पूछते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं या समर्थन कर रहा हूं। पूरी रामायण हो गयी और सीता राम कौन हैं, यह मालूम नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो उसकी खराबियां हैं वह इस सम्मानित सदन के सामने रख रहा हूं। इसमें कोई प्रश्न ही पूछने का नहीं उठता।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि होना यह चाहिये था कि अपने अधिकार हम जितने हों, कांकरेंट लिस्ट में उनको जब तक एक विशेष परिस्थिति न हो, उन पर हमें खुद ही लेजिस्लेट करना चाहिये। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी मौके में निन्दनीय हो या इसके ऊपर उंगली उठायी जा सके। श्रीमन्, यही नहीं, अमरीका में और हर जगह जहां कांस्टीट्यूशन है वहां आटोनामी स्टेट की रखी जाती है। सिर्फ कांस्टीट्यूशन में रख देने से काफी नहीं है। हमको स्पष्टतया दिखलाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री के रहते हुये यह होना उचित नहीं है। कोई दूसरा प्रदेश होता जहां लोग एक तरह सेल्फ कंडेम्नेशन पर उतारू होते और समझते कि हम इसके योग्य नहीं हैं, तो मैं मान लेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये यह कहां तक शोभनीय है कि जुआरियों से भयभीत हो कर आप केन्द्रीय सरकार की शरण लें। मैं कहता हूं कि हम संसद को अधिकार तभी दें जबकि एक्सट्रा आर्डिनरी पीरियड हो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर भारत पर दूसरे देश का आक्रमण होता हो या ऐसी परिस्थिति हो जो इस स्टेट के लिये आउट आफ कंट्रोल हो या क्लोज कोआपरेशन की दूसरे देश से आवश्यकता हो, तभी उस समय सेंटर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। परन्तु एक साधारण सी बात, जुआरियों से हमारे मंत्री महोदय

इतने भयभीत होकर हाथ पांव रख दें, यह मैं उचित नहीं समझता। स्टेट्स ड्यूटी के लिये आपने सेंटर को सुपुर्द किया ठीक हो सकता है, क्योंकि स्टेट ड्यूटी एक नयी चीज थी। यह ठीक है कि यूनाइटेड किंगडम में लोग समझते थे, लेकिन आपको परेशानी हो सकती थी। लेकिन जहां तक बेटिंग को रोकने का प्रश्न है और कामनसेंस क्रासवर्ड पजिल्स का सवाल है उसके लिये हम संसद के पास जायं, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचें। यदि उनको समय हो और कोई उनको ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई न हो और कोई ऐसी बात न हो, जिसको इस सदन में कहना उचित न हो तो इसको जरूर करना चाहिये।

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के भाषण को बड़े गौर से सुनने और समझने की कोशिश की, लेकिन जब वह खड़े हुये और उन्होंने कहा कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, लेकिन बाद में उन्होंने जो भाषण दिया तो उस कांटेक्ट में मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने समर्थन किया है या विरोध किया है। हो सकता है कि भूल से उन्होंने कह दिया हो कि मैं इस संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं, लेकिन उनका तात्पर्य यह हो कि मैं नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २५२ और स्टेट लिस्ट वगैरह का हवाला देकर जो कहने की कोशिश की तो मैं यह समझता था कि शायद कोई बड़ी बारीक बात सदन में रखेंगे, लेकिन उन्होंने वही तीसरा रास्ता बताया। तीन ही रास्ते हैं। एक तो यह कि स्टेट लिस्ट के बारे में चूंकि इसी राज्य के लेजिस्लेचर को अधिकार है कोई कानून बनाने का तो या तो यह राज्य एक कानून अपना बना दे, उसमें जो समय लगता, जो रुपया खर्च होता उस पर ख्याल आप करें। दूसरी सूरत यह हो सकती थी कि यहां कोई अपना कानून न बना कर एक संकल्प द्वारा यह अधिकार संसद को हम दे देते जैसा इस वक्त किया जा रहा है। तीसरा तरीका यह था कि हम पहले से कोई अधिकार न देते और वहां जो कानून बन रहा है उसके बनने के बाद हम अपने यहां एक संकल्प द्वारा उसको लागू कर देते। तो इस तीसरे रास्ते को माननीय नारायण दत्त जी ने बेहतर समझा। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अगर वह तीसरा रास्ता हमने अपनाया होता तो यकीनन पहला या दूसरा रास्ता वह बेहतर समझते। इसलिये कि सरकार की ओर से एक संकल्प आया है, उसमें कोई खास बात तो नहीं मालूम होती, पहले से हम अधिकार संसद को दे दें या वहां कानून बनने के बाद हम अपने यहां लागू करें, हमको कोई अधिकार उसमें नहीं होगा, उसमें अगर एक लफ्ज की तरमीम हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि २५२ के क्लाज को अगर वह देखेंगे तो उसमें यह भी है कि आइन्दा कोई संशोधन का विधेयक भी हम नहीं ला सकते। हां, मैं यह समझता हूं कि सिद्धांततः जैसा कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने भी कहा कि सिद्धांततः कोई विरोध नहीं हो सकता और माननीय नारायणदत्त जी भी सिद्धांततः कोई विरोध नहीं कर सकते थे, यह उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिये उन्होंने एक वैधानिक प्रश्न उठा कर उसकी आड़ लेने की कोशिश की। ऐसी हालत में उसमें कोई तत्व नहीं है। इसलिये जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। वास्तव में यह संकल्प आज से बहुत पहले आना चाहिये था। लेकिन आज भी जो यह आया है तो उसके सम्बन्ध में वैधानिक या कांस्टीट्यूशन का हवाला देकर जो विरोध सिद्धांत के आधार पर किया गया है वह इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहर भी लोगों को आश्चर्य में डालेगा। यह संकल्प कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २५२ (१) के अनुसार बिल्कुल ठीक उसके अनुरूप में है। स्टेट लिस्ट में गैम्बलिंग और बेटिंग पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन स्टेट की सीमा जो निर्धारित है उसके भीतर यदि गैम्बलिंग और बेटिंग का कानून बनाना हो तब तो लागू हो सकता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है वह उन गैम्बलिंग और बेटिंग संस्थाओं से सम्बन्ध रखता है जो स्टेट के बाहर हैं। वास्तव में संकल्प में जिन बातों की कल्पना की गयी है वह क्रासवर्ड पजिल्स हैं। आज हमारे देश में लोग इससे बरबाद होते हैं और यह लोग लोगों को प्रभावित करते हैं और इसके अन्तर्गत गैम्बलिंग होता है और यह गैम्बलिंग उस गैम्बलिंग से अधिक हानिकर है जो छोटे छोटे मेलों में होती है। इसमें इंटेलीजेंशिया क्लास प्रभावित होकर बरबाद होती है।

मैं समझता हूं कि यह संकल्प जो उपस्थित हो रहा है, इसका न केवल स्वागत होना चाहिये, न केवल इसका समर्थन होना चाहिये, बल्कि जितना अधिक से अधिक इसके पक्ष में कर सकें वह करना चाहिये प्रचार के रूप में। आर्टिकल २५२ (१) में कहा गया है कि जब कभी किसी स्टेट को इस सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो संसद से प्रस्ताव द्वारा निवेदन करें और वह कानून बनाये तो यह कानून बन रहा है।

जहां तक इस तरह की क्रासवर्ड पजिल्स का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि आज से नहीं, बल्कि वर्षों से हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इस प्रकार के जुए में ऐसे फंसे हुये हैं कि वह चाहते हुये भी इसमें से निकल नहीं पाते हैं। एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण मेरे जीवन में आये हैं और अच्छे-अच्छे वकील, प्रोफेसर्स और डाक्टर्स इसमें फंस जाते हैं और यह जानते हुये कि इस तरह का चांस शायद ही कभी उनके जीवन में आवे, लेकिन एक बार जब इसमें फंस जाते हैं तो मुक्ति नहीं पाते और सैकड़ों रुपये उनके बरबाद होते हैं। मैंने देखा कि लोग कर्जा लेकर इस तरह के जुओं की कम्पनी खोलते हैं और लोगों को फंसाते हैं और उनकी तमाम जिन्दगी बरबाद हो जाती है। मैं एक आदमी को जानता हूं कि वह आगाओं से जो बहुत ज्यादा सूद पर रुपया देते हैं, उनसे रुपया लेकर उसने अपनी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा बरबाद किया है, लेकिन मिला कभी कुछ नहीं सिवाय इसके कि कभी छोटी सी फाउन्टेन पेन मिल गयी, कभी छोटी सी घड़ी मिल गयी। रात दिन इसमें लोग रहते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं और १२-१२ घंटे इस काम में लगे रहते हैं। इसकी कम्पनियां बन जाती हैं और उन का काम होता है कि वह लोगों को फंसायें और ऐसा भी होता है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका एक ग्रूप होता है जो कभी कभी अखबारों में छाप देता है कि फलां आदमी को इनाम मिला। वह इसीलिये कि इससे प्रचार हो और नये नये लोग इसमें आकर फंसे। यह तो इंटेलीजेंसिया क्लास को फंसाने का साधन है।

इसके अतिरिक्त यदि लोग अपने दिमागों को दूसरी ओर लगायें तो न केवल उनका बल्कि देश का कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है, क्योंकि उसमें जो रिडिल्स साल्व करने को आती हैं उसमें बड़े अच्छे मस्तक की जरूरत है इसीलिये अगर यह लोग अपने मस्तक को इधर से हटाकर दूसरी ओर लगायें तो निज का कल्याण हो सकता है और हमारे समाज का भी कल्याण हो सकता है इस तरह की जुआखोरी हमारे प्रदेश को बरबाद कर रही है और हमारे यहां के लोगों का पतन कर रही है। इसमें एक दफा फंसकर लोग लालची बन जाते हैं और इससे मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिये मैं समझता हूं कि आज जो संकल्प उपस्थित हुआ है सदन में, वह पहले से आना चाहिये था और यदि आज आया है तो समय से आया है और इसका स्वागत होना चाहिये।

एक बात मैं इस सदन में और कहना पसन्द करूंगा कि इस संकल्प के देने के पश्चात् हमारे प्रदेश में एक अनुकूल प्रचार का साधन भी तैयार होना चाहिये। यह संकल्प पास होने के बाद पार्लियामेंट तब इस प्रश्न को अपने हाथ में लेगी और तब इस प्रकार का जो इसके विपरीत वातावरण उत्पन्न हुआ उससे लोगों की रक्षा हो सकेगी। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इसको पास किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के विरोध में जो तर्क किये गये हैं उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है

कि जब हम पार्लियामेंट से किसी विधेयक को बनाने की बात कहते हैं तो जैसी कि हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। इस तरह की बातें यहां पर माननीय नारायण दत्त और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा। मैं समझता हूं कि यह दृष्टि तो बहुत ही गलत है। यह तो वेस्टेड इन्टरेस्ट सा क्रियेट हो रहा है। हमारी प्रतिष्ठा जो जनहित है उससे भी ज्यादा ऊंची हो गयी। किसलिये हम इस संकल्प को पार्लियामेंट के पास भेज रहे हैं उस के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह इसलिये आवश्यक है कि इसमें यूनिफार्मिटी होनी चाहिये। अगर कहीं पर इसके ऊपर प्रतिबन्ध जरा भी ढीला हो तो वहीं इन क्रासवर्ड पजिल के आफिसेज का अड्डा बनेगा। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुये अगर हम पहले से ही अपने संकल्प को वहां पर भेज देते हैं तो पार्लियामेंट सब प्रदेश और सारे देश की आवश्यकता को सामने रख कर और उस पर विचार करके एक ऐसा विधेयक बनाये जिससे कि सब का समाधान हो जाय। अगर संविधान की धारा में दी हुई दूसरी सूरत अख्तियार की जाती है कि विधेयक पहले वहां पास हो जाय तब हम उसको अपनावें फिर भी हमको संशोधन करने का अख्तयार नहीं रह जाता और यह तर्क बेमानी सा हो जाता है। लेकिन अगर हम संशोधित रूप में उसी बिल को स्वयं पास करते हैं तब वह केन्द्र के बिल से भिन्न हो जायगी और जो बात हम चाहते हैं कि सारे देश में एक तरह का कानून लागू हो, वह चीज नहीं हो पायेगी। इसलिये हमको जनहित को ध्यान में रख कर अपनी छोटी प्रतिष्ठा से कुछ ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिये। जो देश के कल्याण की बात हो चाहे वह यहां पास हो या पार्लियामेंट में पास हो दोनों प्रकार उचित ही है। मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत के अनुसार कानन बनना चाहिये, इससे जो अधिकार इस सदन के हैं और जो हमारी प्रतिष्ठा है उस में जरा भी ठेस नहीं पहुंचती है। अगर हम संविधान के अपने अधिकारों को पार्लियामेंट के सिपुर्द करते हैं तो इस दृष्टि से करते हैं कि जल्द से जल्द हम एक दोषपूर्ण चीज पर, जो देश के लिये अहितकर है, प्रतिबन्ध लगा सकें।

श्री नंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की राय से सहमत नहीं हूं। उनके प्रस्ताव से हमारी विधान सभा के अधिकारों का थोड़ा सा अपहरण होता है। मैं समझता हूं कि उनकी बातों के पीछे उद्देश्य बहुत ऊंचा है। पहेली पुरस्कार योग्यता के सम्बन्ध में मैं उनके मत को पसन्द करता हूं। और सदस्यों ने जो राय प्रकट की हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे कानून की जरूरत है। सम्भवतः दूसरे राज्यों ने इस प्रकार का कानून बनाने की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार से की भी है जिनमें शायद आन्ध्र या इस प्रकार के एक या दो और प्रदेश हैं। उनकी इच्छा के मुताबिक और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है तो मुझे उनसे कोई शिकायत करने की तो बात नहीं है लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की विधान सभा से मैं यह जरूर कहूंगा कि यह विधान सभा अपने को पूरी तरह से कम्पीटेंन्ट समझती है कि वह इस प्रकार का कानून बनाये और दूसरी स्टेट्स को भी इसके लिये प्रोत्साहित करे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ सितम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

बुन्देलखंड की मंडियों के नाम

क्रम-संख्या		मंडियों के नाम
१	..	कालपी
२	..	उरई
३	..	ललितपुर
४	..	मऊरानीपुर
५	..	बांदा
६	..	मौदहा
७	..	झांसी
८	..	चिरगांव
९	..	कोंच
१०	..	महोबा
११	..	अतर्रा
१२	..	करवी
१३	..	बरवासुमेरपुर
१४	..	कबरई

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८० एल० ए०—१९५५—७९६ ।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश प्रदेश